<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 164वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 164वीं बैठक **दिनांक 20.02.2025** को जयपुर में **श्री लाल सिंह**, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं श्रीमती श्रेया गुहा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार की सह-अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमे विशिष्ट अतिथि **श्री सुधांश पंत**, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार रहे। **श्री एम. अनिल**, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान के संयोजन से आयोजित बैठक में श्री नवीन नाम्बियार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर, श्री अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, श्री दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, श्रीमति मंजू राजपाल, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, श्री आशुतोष ए.टी. पेडनेकर, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, श्री राजन विशाल, शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राजस्थान सरकार, श्री महेंद्र सोनी, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, श्री इंद्रजीत सिंह, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, श्री अरुण गर्ग, आयुक्त, भू-प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार, श्री श्रीकान्त नामदेव, निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार, श्री पुष्पहास पाण्डे, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, जयपुर, श्री विकास अग्रवाल, उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर, तथा केंद्र व राज्य के उच्चाधिकारियों, बीमा कम्पनियों तथा अन्य सभी बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा सहभागिता की गई। **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम मंच पर विराजमान गणमान्यों व राज्य सरकार के अधिकारी-गण, दोनों ग्रामीण बैंको के अध्यक्ष, सभी बैंकर्स, बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं समिति की बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 164वीं बैठक में स्वागत एवं अभिनंदन किया। तत्पश्चात उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान के अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को मुख्य उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक में मंचासीन सभी गणमान्य अथितियों, राज्य और केंद्र सरकार व बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों का स्वागत किया।

उन्होने बताया कि-

- माननीया वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में turnover के आधार पर MSME classification threshold, रु 250 करोड़ से बढ़ा कर रु 500 करोड़ कर दी है। इसके कारण MSME क्षेत्र के तहत potential beneficiaries की संख्या बढ़ गयी है और इस क्षेत्र में credit-demand में बढ़ौतरी अपेक्षित है।
- बजट में KCC interest subvention scheme हेतु ऋण की limit रु 3 लाख से बढ़ा कर रु 5 लाख कर दी गयी है जिसके कारण agricultural sector loan में सराहनीय वृद्धि अपेक्षित है।
- वंचितों और गरीबों की उन्नति के लिए सभी बैंकों, विशेषकर निजी बैंकों एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंकों से अनुरोध है कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं, यथा PMMY, PM-AJAY, Stand Up India, PM Vishwakarma Yojana, PM Suryaghar Muft Bijli Yojana, NRLM, R-SETI Credit Linkage, CGTMSE, BRUPY एवं MNSUPY के तहत अपने प्रदर्शन में सुधार करें।
- साथ ही सभी बैंक निम्न बिन्दुओ पर विशेष ध्यान दें:
  - KCC Saturation Drive में सभी पात्र किसानों को फसल एवं पशुपालन हेतु KCC Card दिया जाना।
  - बैंकिंग सेवाओं से वंचित सभी पात्र व्यक्तियों का PMJDY account खोलना और उन्हे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (PMJJBY, PMSBY, APY) से भी लाभान्वित करना।
  - PMJDY खातों में Rupay card issuance और activation तथा आधार seeding
  - कृषि क्षेत्र में Investment Credit में 40% के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप प्रगति करना।
  - विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सभी लम्बित आवेदन पत्रों में समय पर ऋण वितरित कराना।
  - 'Digital एवं Financial Literacy का प्रचार-प्रसार।

- PM Vishwakarma योजना एवं PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के तहत सभी लम्बित आवेदन पत्रों में समय पर ऋण वितरित कराना।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अंत में उन्होने **राजस्थान सरकार के पास समाधान हेतु लंबित बैंकों से संबन्धित मुद्दों** पर बैठक के दौरान राज्य सरकार से उचित समाधान प्राप्त होने की आशा व्यक्त की।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने **मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड** को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- यह हर्ष का विषय है कि एसएलबीसी की 164वीं बैठक नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बनाए गए State Focus Paper के अनावरण (दिनांक 12.02.2025) के पश्चात हो रही है जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की ऋण संभावनाओं का आंकलन है। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कुल रु 4 लाख 40 हज़ार करोड़ का लक्ष्य आंकलित किया गया है जी पिछले वर्ष की अपेक्षा 22% अधिक है। यह लक्ष्य सभी हितधारकों से विचार विमर्श के पश्चात और सभी sectors और sub-sectors की संभाव्यताओं के आधार पर निर्धारित किया गया है।
- यह हर्ष का विषय है कि गत 3 वर्षों में सभी बैंकों ने मिलकर राजस्थान में 15.43% की संचयी वृद्धि दर से ऋण वितरण किया है।
- हर्ष का विषय है कि दिसम्बर 2024 तक सभी बैंकों ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के सापेक्ष 76% की प्रगति की है जो पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा 14% अधिक है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कृषि क्षेत्र के लक्ष्य की आपूर्ति थोड़ी कम है और उसपर ध्यान देने की आवश्यकता है।

  (कार्यवाही: समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)
- साथ ही चिंता का विषय है कि सहकारिता क्षेत्र की सहभागिता बैंकिंग क्षेत्र में घटती जा रही है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह ध्यान देकर इनकी अधिक सहभागिता सुनिश्चित करें।

  (कार्यवाही: सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार)
- हर्ष का विषय है कि 31 दिसम्बर, 2024 तक राजस्थान में कृषि सावधि ऋण ने 31% का स्तर प्राप्त किया है जो capital formation में सहायक होगा और कृषि की वास्तविक वृद्धि दर को बढ़ाने में मदद करेगा।
- नाबार्ड का राज्य में योगदान-
  - FIF के अंतर्गत वित्तीय समावेशन के लिए पहल की गयी हैं उदाहरणतः नाबार्ड 2025-26 में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग touch-points को बढ़ाने के लिए micro-ATM की सुविधा प्रदान कर रहा है। 18,811 Registered Dairy Cooperative Societies (जिनकी सदस्यता 9,15,000 है), में micro-ATM देने की योजना है।
  - Aspirational Districts यथा बारां, धौलपुर, करौली, सिरोही एवं जैसलमेर में ग्रामीण समुदाय के लिए वित्तीय साक्षारता के कार्यक्रम/ शिविर आयोजित करने हेतु बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
  - नाबार्ड ने हाल ही में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए जन सुरक्षा पोर्टल launch किया है। इस पोर्टल पर enrolment एवं claim settlement process के automation की सुविधा उपलब्ध होगी।
  - CFL परियोजना में 61 CFL इस बार support किए गए हैं। जिनमे से 14 बैंक ऑफ बड़ौदा, 21 भारतीय स्टेट बैंक, 14 पंजाब नेशनल बैंक, 3 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं 9 यूको बैंक के हैं। इसके अंतर्गत नाबार्ड प्रति CFL रु 6 लाख capex के लिए व रु 33 लाख opex के लिए 3 वर्ष तक उपलब्ध करवाएगा तथा रु 21 लाख 77 हज़ार की कुल संचयी स्वीकृति अभी तक हो चुकी है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने **क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक** को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- यह बड़ी उपलब्धि है कि राज्य में CD ratio 100% के स्तर के निकट (98.60%) पहुँच गया है। राज्य के सभी नागरिकों के CASA खातों को हम digitally enabled बनाने में सक्षम रहे हैं।
- CD ratio का denominator अतः deposits ही वह संसाधन है जिसे पूरे राज्य में ऋण के माध्यम से deploy किया जाता है। अतः अब deposits बढ़ाना एक चुन्नौती है। आरबीआई जयपुर ने अपने 11 अग्रणी जिला अधिकारियों (LDO) को Deposit-to-household ratio के तहत 11 पिछड़े ब्लॉक का चयन कर इसमें सुधार हेतु रणनीति बनाने के लिए निर्देशित किया है। इसी तर्ज पर सभी 41 LDMs भी अपने जिले में Deposit-to-household ratio मापदंड पर सबसे पिछड़े हुए ब्लॉक में सुधार हेतु संसाधन जुटाने के लिए प्रयास करें।

(कार्यवाही: अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं संबंधित अग्रणी बैंक)

- MSME ऋण के तहत लगभग रु 2 लाख करोड़ outstanding है जो कुल ऋण का लगभग 27.80% है। कृषि क्षेत्र का कुल ऋण में योगदान लगभग 25.68% है। MSME क्षेत्र में लगभग 18.86% एवं कृषि क्षेत्र में लगभग 12.43% Y-O-Y वृद्धि हुई है।
- Small and Marginal Farmers, micro enterprises एवं weaker section का कुल ऋण में योगदान बढ़ा है। इसके लिए सभी बैंक बधाई के पात्र हैं। बैंकों से अनुरोध है कि इसे और बढ़ाएँ।
- राजस्थान में 1 वर्ष में new-to-credit ऋणियों की संख्या लगभग 16 लाख है। 16 लाख में से 70% new-to-credit ऋण, NBFC द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान में दिये जाने वाले कुल ऋण में से 10% ऋण ही new-to-credit ऋणियों को दिया गया है। राजस्थान की working age population लगभग 4.5 करोड़ है जिसमे से लगभग 60% के पास ही credit score है अर्थात उनके द्वारा formal system से ऋण लिए गया है, जिसमें से 80% ऋणी आज की तारीख में लोन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है की राजस्थान में लगभग 2 करोड़ व्यक्ति या तो ऋण लेने हेतु formal system से नहीं जुड़े हैं या उन्हे ऋण की आवश्यकता नहीं है।
- माननीय मुख्य सचिव महोदय का एसएलबीसी की 164वीं बैठक में पधारने के लिए धन्यवाद है। बैठक में निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार भी मौजूद हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राज्य सरकार एवं बैंकिंग system के लिए collaboration हेतु महत्वपूर्ण मंच है। एसएलबीसी ने डाटा के संबंध में काफी rationalization किया है। आयोजना विभाग को monitoring के संबंध में standardization उपलब्ध करने हेतु बधाई है।
- एसएलबीसी को डाटा presentation में सुधार करने के लिए बधाई है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने **मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार** को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एक महत्वपूर्ण मंच है।
- राज्य सरकार के विभाग, सभी बैंकर्स एवं अन्य हितग्राही, राज्य के हित में इस मंच पर एकत्रित होते हैं।
- अतिरिक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा जब पूर्व में निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के पद पर कार्यरत रहते हुए गुजरात की एसएलबीसी बैठक में सहभागिता की जाती थी, तब गुजरात प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान के माननीय प्रधानमंत्री एसएलबीसी की बैठकों में उपस्थित होते थे। इससे इस मंच के महत्व का पता चलता है। हमें इस मंच की महत्ता को न ही जारी रखना है अपितु इस मंच को और सार्थक बनाना है। यहाँ पर सार्थक चर्चा हो, समस्याओं का वास्तविक समाधान निकले (समाधानों का कार्यान्वयन भी हो) एवं यह बैठक मात्र एक औपचारिकता न बन जाए, इसका सभी हितग्राही प्रयास करें।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समस्त हितधारक)

- सभी सरकारी योजनाओं के उद्देश्य economically एवं socially under-privileged वर्ग के लोगों का उत्थान है। बैंक स्टाफ को इन लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हुए इन्हे पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, अटल पेंशन

योजना इत्यादि के तहत सरल प्रक्रिया में लाभान्वित करना चाहिए जिससे इन सरकारी योजनाओं का उद्देश्य पूरा हो सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- निजी बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंक, सरकारी योजनाओं के तहत ऋण देने में कम रुचि लेते हैं। सभी निजी बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंक से अनुरोध है कि राष्ट्र एवं प्रदेश के हित में, marginalized वर्ग के लिए सरकारी योजनाओं में अपना योगदान बढ़ाएँ।

(कार्यवाही: समस्त निजी एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंक)

- सरकारी योजनाओं के तहत ऋण आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण करिए। लंबित ऋण आवेदनों को review कीजिये एवं इनके समय-बद्ध निस्तारण की प्रगति की नियमित निगरानी कीजिए। यदि निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण नहीं किया जा रहा है तो इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए एवं समय से निस्तारण करने में आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान कीजिये।
- 2 प्रकार के लंबित आवेदन होते हैं-
    - आवेदक के स्तर से कोई कमी नहीं है अपितु बैंक से स्तर पर आवेदन को संसाधित करने में कमी है।
    - बैंक द्वारा आवेदन में कमी पाये जाने के कारण queries raise की गयी हैं। ऐसे में पात्र आवेदकों की handholding करके आवेदन में कमी पूरी करवाएँ ताकि आवेदन निर्धारित समय-सीमा से अधिक लंबित नहीं रहे। जो आवेदक पात्र नहीं है, उनके ऋण आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर निरस्त करें।
- बैंक सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- PMSBY के अंतर्गत पंजाब में 40%, मध्य प्रदेश में 40%, हरयाणा में 37% जनसंख्या को लाभान्वित किया गया है जिसके सापेक्ष राजस्थान में 32% जनसंख्या को लाभान्वित किया गया है।
- PMJJBY के अंतर्गत राजस्थान में 16% जनसंख्या को लाभान्वित किया गया है जो अन्य राज्यों की प्रगति के अनुरूप है।
- पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत प्रदेश में 31.12.2024 तक 29,000 ऋण वितरण किए गए हैं जो अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर है। इसके लिए सभी बैंक एवं उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार बधाई के पात्र हैं। ऋण वितरण के संदर्भ में राज्य का प्रदर्शन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश, हरयाणा एवं पंजाब से बेहतर है।
- योजनान्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने योजना के तहत 7000 ऋण वितरण किए हैं जो कुल ऋण वितरण का ¼ है, पंजाब नेशनल बैंक ने 5400 ऋण वितरण करे हैं जो कुल ऋण वितरण का 1/6 है। निजी बैंकों में ICICI ने 44, कोटक महिंद्रा बैंक ने 7, एक्सिस बैंक ने 2 एवं अन्य निजी बैंकों ने 0 आवेदनों में ऋण वितरण किया है। निजी बैंकों से पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण वितरण बढ़ाने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त निजी बैंक)

- किन्तु पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लंबित आवेदन की संख्या अधिक है। अतः बैंकों से योजनान्तर्गत लंबित आवेदनों का निस्तारण करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। राज्य के बजट 2025-26 में भी बड़े पैमाने पर इस योजना को boost करने का निर्णय हुआ है। अभी तक राज्य में house-holds को 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, जिसे सोलर ऊर्जा से जोड़ कर सब्सिडी के माध्यम से मुफ्त बिजली देने की योजना है।
- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 25-26,000 ऋण वितरण किए गए हैं, जो राजस्थान से 4 गुना अधिक है, महाराष्ट्र में 15,000 एवं राजस्थान में 6,000 ऋण वितरण किए गए हैं। राज्य स्तरीय

बैंकर्स समिति एवं सभी बैंक, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सराहनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाएँ।

- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ऋण भुगतान की संभावना बहुत अच्छी है, अतः बैंक इसके तहत अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें। साथ ही बैंक स्टैंड अप इंडिया, पीएम अजय, पीएम विश्वकर्मा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, इत्यादि के तहत भी अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- पीएम स्वनिधि योजना में street vendors के लिए दूसरे और तीसरे tranche में ऋण वितरण बहुत कम है। यदि पहले tranche के बाद street-vendor को दूसरे और तीसरे tranche में ऋण राशि प्राप्त नहीं होगी तो वह अपनी आय में breakthrough उपलब्ध नहीं कर पाएगा।
- बैंकिंग सेवाओं से रिक्त गाँव बहुत कम रह गए हैं। इस दिशा में बैंकों ने पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके लिए सभी बैंक बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं।
- कुछ गाँव में brick & mortar शाखाएँ खोली जानी थी जिसकी नियमित समीक्षा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा "प्रगति" बैठक में भी किया जाता है। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में (क्रमशः माडवा गाँव व बीजासर गाँव में) brick & mortar शाखा खोलना लंबित है, जिनहे खोलने का संबन्धित बैंकों से अनुरोध है।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक)

- वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के जिलों को नवगठित करके 41 ज़िले बना दिये हैं जो पूर्व के 33 जिलों से 8 अधिक हैं। इन नए 8 जिलों में बैंकिंग सेवाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है।
- राज्य सरकार के बजट 2025-26 में phased तरीके से 8 नए जिलों में (विभागों के) ज़िला स्तरीय कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की गयी है। पहले phase के लिए रु 1000 करोड़ का provision किया गया है। इन जिलों में बैंकिंग सेवाएँ सशक्त होने से ज़िले के गतिशील विकास को समर्थन मिलेगा।
- जिन ज़िला स्तरीय अधिकारियों को RACO-RODA एवं SARFAESI के तहत कार्यवाही करने के अधिकार प्राप्त हैं, उन्हे हर forum पर sensitize किया जाता है कि बैंकों के बकाया ऋणों की वसूली प्राथमिकता है जिसके लिए उन्हे बैंकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। सरकार के सभी ज़िला कलक्टर एवं प्रशासन बकाया ऋण की वसूली हेतु बैंकों के साथ हैं एवं वसूली में बैंकों का सहयोग करेंगे। फिर भी यदि बैंकों को RACO-RODA एवं SARFAESI के तहत कोई किसी ज़िले में कोई विशिष्ट समस्या आती है तो इसे राज्य सरकार के संज्ञान में लाएँ।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- राज्य सरकार एवं बैंक, बकाया ऋण की वसूली को प्राथमिकता देते हुए, इस हेतु समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: राज्य सरकार एवं समस्त सदस्य बैंक)

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति महत्वपूर्ण फोरम है, इसीलिए इसमे बैंक एवं सरकार का प्रतिनिधित्व जितने उच्चतम स्तर पर होगा, राज्य के समग्र विकास के लिए उतना ही हितदायी होगा।
- राज्य सरकार एवं बैंक के अधिकारियों से अनुरोध है कि आपस में समन्वय बना कर, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझकर कार्य करें, जिससे राजस्थान, राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में आ सके।

(कार्यवाही: राज्य सरकार के संबन्धित विभाग एवं समस्त सदस्य बैंक)

- Rising Rajasthan Global Investment Summit में, राज्य सरकार के सहयोग से रु 35 लाख करोड़ के संभावित निवेश के लिए MoU हस्ताक्षरित हुए हैं। राज्य सरकार इन निवेशों को वास्तविक परियोजनाओं में परिवर्तित करने का प्रयास कर रही है जिसकी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। फलस्वरूप, बैंकों को renewable sector, mineral resources, tourism, कृषि, इत्यादि क्षेत्रों के तहत ऋण आवेदन प्राप्त होने की अधिक संभावनाएं हैं। उक्त निवेशों से संबन्धित परियोजनाओं हेतु ऋण प्रदान करने का यह बैंकों के लिए अच्छा अवसर है। बैंकों से अनुरोध है कि Rising Rajasthan Global Investment Summit में प्राप्त निवेशों से संबन्धित परियोजनाओं हेतु प्राप्त ऋण आवेदनों पर सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने **शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार** को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- राज्य के विकास में एसएलबीसी की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- PMJDY खाता Direct Benefit Transfer और अन्य योजनाओं के तहत कमजोर वर्ग के लोगों को कवर करने के लिए शुरुआती बिंदु है।
- वर्तमान में राज्य की 46.05% जन-संख्या को ही PMJDY के तहत कवर किया गया है।
- PMJJBY के तहत राज्य में 16.62% जन-संख्या को कवर किया गया है जो हालांकि अन्य राज्यों के सापेक्ष अधिक है पर absolute numbers वृद्धि की बहुत गुंजाइश है।
- संज्ञान में आया है कि (PMJJBY एवं PMSBY) के कई क्लेम process नहीं किए जा रहे हैं। उदाहरणतः एकत्रित प्रीमियम की कुल राशि रु 22,750 करोड़ के सापेक्ष रु 1,589 करोड़ का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया गया है। अतः क्लेम process करने की प्रक्रिया का आंकलन करने की आवश्यकता है।
- APY के तहत प्रदेश की 4.89% जन-संख्या को ही कवर किया गया है। इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार एवं इसके नामांकन की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।
- पीएम विश्वकर्मा बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमे प्रदेश में बड़ी संख्या में ऋण वितरण हुआ है। किन्तु ऋण वितरण की संख्या, कुल ऋण आवेदनों की संख्या से बहुत कम है। योजनान्तर्गत लाभार्थी को tool-kit व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अतः यह बहुत लाभदायक योजना है। योजनान्तर्गत कुछ बैंकों का प्रदर्शन बहुत सराहनीय है। राज्य की कुल प्रगति में 2-3 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 80-90% योगदान है। निजी बैंकों में मात्र 1 बैंक का योजनान्तर्गत संतोषजनक योगदान है। अन्य बैंकों को अपना योगदान बढ़ाने की आवश्यकता है
- स्टैंड अप इंडिया मुख्यतः अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं महिलाओं के लिए हैं जिसके तहत रु 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। योजनान्तर्गत अभी तक 2,017 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है जो प्रदेश में (अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं महिलाओं की) जनसंख्या से बहुत कम है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ground level entrepreneurship को प्रोत्साहित करने के लिए सराहनीय योजना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सापेक्ष राजस्थान का प्रदर्शन बहुत कम है।
- प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के सापेक्ष राजस्थान का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। इसके तहत रु 78,000 की सब्सिडी भी मिलती है। योजनान्तर्गत राजस्थान में बहुत संभावनाएं मौजूद हैं।
- PMEGP के तहत रु 50 लाख तक का ऋण दिया जाता है। योजनान्तर्गत राजस्थान का प्रदर्शन, अन्य राज्यों के सापेक्ष बहुत असंतोषजनक है। इसमे यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इत्यादि का प्रदर्शन सराहनीय है। अन्य बैंकों से भी योजनान्तर्गत प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध है।
- IMSUPY के तहत आईडीबीआई बैंक का प्रदर्शन सराहनीय है। अन्य बैंकों से योजनान्तर्गत प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध है।
- BRUPY के तहत रु 10 करोड़ तक का ऋण दिया जा सकता है। योजनान्तर्गत आईडीबीआई द्वारा 51.67% लक्ष्य उपलब्ध कर किए गए हैं। अन्य बैंकों से योजनान्तर्गत प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध है।
- हर बार शासन सचिवों की बैठक में public grievances के मुद्दे पर चर्चा की जाती है। अन्य विभागों द्वारा प्राप्त शिकायतों के सापेक्ष बैंकों द्वारा प्राप्त शिकायतों की निस्तारण-दर एवं निस्तारण की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। बैंकों से अनुरोध है कि public grievances का गुणवत्तापूर्वक निर्धारित समय सीमा में redressal करें। विभाग द्वारा, निस्तारण हेतु लंबित public grievances की सूची बैंकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाएगी।
- विभाग द्वारा सभी बैंकों के सभी सरकारी योजनाओं के तहत प्रदर्शन के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसे सभी बैंकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाएगा।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- कुछ public grievances 60 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। इनमे 25 आवेदन 1st category, 45 आवेदन 2nd category एवं 22 आवेदन ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय/ राज्यपाल कार्यालय अथवा मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। बैंकों से अनुरोध है कि 2 महीनों से अधिक समय से लंबित grievances का अतिशीघ्र निस्तारण कर, इनकी संख्या शून्य करें। साथ ही अन्य लंबित आवेदनों का निस्तारण भी जल्द-से-जल्द करें। बैंक सभी public grievances का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति पश्चात बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

Confirmation of Minutes of 163rd SLBC Meeting

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम बताया कि दिनांक 19.11.2024 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 28.11.2024 को समस्त हितधारकों को प्रेषित किए गए हैं एवं इसकी पुष्टि करने के लिए सदन से अनुरोध किया, तत्पश्चात सदन में उपस्थित समस्त सदस्यों ने उक्त कार्यवृत की पुष्टि की।

Action Taken Report

Agenda Item No. 1 – Government Sponsored schemes

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि एसएलबीसी की दिनांक 05.02.2025 को आयोजित स्टियरिंग समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया है केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण मापदण्डों के आधार पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकों को certificate of appreciation दिया जाएगा।

Agenda Item No. 2 – Online Portal for GSS

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा एसएलबीसी की दिनांक 05.02.2025 को आयोजित स्टियरिंग समिति की बैठक में सूचित किया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु पोर्टल विकसित करने का कार्य कर रहा है।

Agenda Item No. 3- National Rural Livelihood Mission

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि NRLM विभाग, राजस्थान सरकार ने अवगत कराया है कि 10-18 फरवरी, 2025 को NRLM योजनान्तर्गत credit linkage हेतु शिविर लगाए गए हैं। सभी बैंकों से अनुरोध है कि इन शिविरों में स्त्रोत किए गए ऋण आवेदनों में अतिशीघ्र नियमानुसार ऋण वितरण किया जाए।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agenda Item No. 4. – Support required from State Government

R-SETI Land Allotment- सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि आर-सेटी भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण से संबन्धित मुद्दों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कार्यवाही प्रतीक्षित है।

RACO-RODA Pendency & Amendment in PDR Act, 1952- सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि RACO-RODA एवं सरफेसी के तहत लंबित प्रकरणों के संबंध में राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कार्यवाही प्रतीक्षित है।

Agenda Item No. 5- Reduction in Frequency of DLRC meetings

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने DLRC बैठकों की आवृत्ति कम करने पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होने पूछा कि क्या सांसदों/ विधायकों द्वारा DLRC की बैठकों में सहभागिता नहीं किए जाने की समस्या मात्र राजस्थान में है या अन्य राज्यों में भी है?

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि-

- DCC की बैठकें प्रति तिमाही हो रही है एवं इसी आवृत्ती पर होती रहेंगी।
- DLRC की बैठक मुख्यतः जन-प्रतिनिधियों हेतु आयोजित की जाती है जिससे वह अपने क्षेत्र से संबन्धित विचार सभी हितग्राहकों के साथ साझा कर सकें। किन्तु आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जन-प्रतिनिधियों की DLRC की बैठकों में सहभागिता बढ़ाने हेतु की गयी पहल के पश्चात भी इन बैठकों में सांसदों/ विधायकों द्वारा सहभागिता नहीं की जा रही है। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्र कार्यालय द्वारा DLRC बैठकों की आवृत्ती कम करने पर विचार किया जा रहा है (कि कहीं DLRC बैठक की त्रैमासिक आवृत्ती सांसदों/ विधायकों द्वारा सहभागिता करने में बाधक तो नहीं) एवं इस संबंध में एसएलबीसी के सदन की राय केंद्रीय कार्यालय द्वारा मांगी गयी है। इसके पश्चात RBI के केंद्रीय कार्यालय द्वारा centrally इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
- सांसदों/ विधायकों द्वारा DLRC की बैठकों में सहभागिता नहीं किए जाने की समस्या सभी राज्यों में है।

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने अनुरोध किया कि –

- सिर्फ राजस्थान में suo-moto DLRC बैठक की आवृत्ती कम नहीं की जाए। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय द्वारा pan-India निर्णय लिया जाए।
- DLRC की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमे सांसद/ विधायक सदस्य हैं, उनकी आवृत्ती बिना सांसद/ विधायकों की अनुमति के कम करना उचित नहीं होगा। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। अतः इसमें निर्णय लेने में कोई जल्द-बाज़ी नहीं अपितु अच्छे से सोच-विचार कर करें।
- DLRC बैठक की आवृत्ती में संशोधन के संबंध में सांसदों/ विधायकों से विचार-विमर्श करें। यदि वह आवृत्ती कम करने हेतु सहमत हों, तभी आवृत्ती कम की जाए।
- DLRC बैठक का आयोजन उन दिनों में करें जिनमे सांसद/ विधायकों द्वारा सहभागिता करना सुगम हो, उदाहरणतः संसद/ विधान सभा सत्र, एवं अन्य working-days पर उनके द्वारा सहभागिता किया जाना संभव नहीं होगा।

(कार्यवाही: समस्त डीसीसी संयोजक बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

- सांसद/ विधायकों की मौजूदगी में DLRC की बैठकें किया जाना महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका उस क्षेत्र के विकास से अधिक जुड़ाव है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- यह एजेंडा बिन्दु एसएलबीसी की मुख्य बैठक से हटाकर इसपर सदन के अतिरिक्त, अलग से विचार करेंगे।

Agenda Item No. 6 –Setting up of Brick and Mortar branches

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने निम्नानुसार सूचित किया-

- भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि माडवा गाँव में ब्रिक एंड मोर्टार शाखा खोला जाना प्रक्रियाधीन है।
- पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि बीजासर में ब्रिक एंड मोर्टार शाखा हेतु चयनित परिसर में repair के कार्य हेतु budget allocation का प्रस्ताव बैंक बोर्ड के अनुमोदनार्थ फरवरी 7, 2025 को प्रस्तुत किया गया है।

Agenda Item No. 7- सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि एसएलबीसी की मुख्य बैठक में बैंकों के राज्य प्रमुखों द्वारा निश्चित रूप से सहभागिता की जानी चाहिए। यदि किसी उचित कारण से राज्य प्रमुख बैठक में सहभागिता कर पाने में असमर्थ हैं तो इसकी सूचना पूर्व में एसएलबीसी को प्रदान करने के पश्चात, अगले उच्चाधिकारी द्वारा सहभागिता की जानी चाहिए।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- जिन बैंकों के राज्य प्रमुखों द्वारा बैठक में सहभागिता नहीं की गयी है, उन्हे यह विदित रहे कि इस बैठक के पश्चात, आगामी बैठकों में बैंक के राज्य प्रमुखों द्वारा ही निश्चित रूप से सहभागिता की जाए जिससे बैठक में हुए विचार-विमर्श एवं निर्णयों में आवश्यक स्पष्टता आ सके।

Agenda Item No. 8 - सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि SLBC द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के आधार पर बैंक-वार एवं ज़िला-वार रेंकिंग तैयार कर वर्तमान बैठक में प्रस्तुत की गयी है।

<u>Banking at a glance in Rajasthan</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सभी मापदण्डों में प्रगति निम्नानुसार है-

Parameters	Dec, 2021	Dec, 2022	Dec, 2023	Sept, 2024	Dec, 2024*
No. of Branches (new Br in Yr./Qtr)	8,228 (77)	8,510 (253)	8,786 (254)	9018 (138)	9059 (179)
* 67.37% branches in Rural & Semi Urban.					
					(₹. in Cr)
Deposits (% Y-o-Y Growth)	5,26,040 (10.64%)	5,87,871 (11.75%)	6,60,724 (12.39%)	7,19,968	7,26,691 (9.98%)
Advances (% Y-o-Y Growth)	4,38,729 (11.84%)	5,20,329 (18.60%)	6,29,370 (20.96%)	6,89,213	7,16,518 (13.85%)
CD Ratio	84.86%	88.51%	95.25%	95.73%	98.60%
PS Advances (% Y-o-Y Growth) (% of total advances)	2,84,757 (13.70%) (64.91%)	3,16,957 (11.31%) (60.91%)	3,78,126 (19.33%) (60.08%)	4,09,984 (59.49%)	4,30,681 (13.90%) (60.11%)

Agri. Advances (% Y-o-Y Growth) (% of total advances)	1,30,166 (10.60%) (29.67%)	1,41,942 (9.05%) (27.28%)	1,63,668 (15.31%) (26.01%)	1,74,990 (25.39%)	1,84,007 (12.43%) (25.68%)
MSME Advances (% Y-o-Y Growth) (% of total advances)	1,13,347 (22.56%) (25.84%)	1,35,837 (19.84%) (26.11%)	1,67,610 (23.39%) (26.63%)	1,88,060 (27.29%)	1,99,214 (18.86%) (27.80%)

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-

- Deposits एवं Advances में सराहनीय Y-O-Y वृद्धि करने हेतु सभी बैंक बधाई के पात्र हैं। यह हर्ष की बात है कि advances, deposits से अधिक Y-O-Y वृद्धि दर से बढ़ रहे हैं।
- CD ratio 100% के निकट है जो उत्साहजनक संकेत है।
- कृषि ऋण के तहत वार्षिक विकास दर 12.43% है जिसे और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र एवं एमएसएमई क्षेत्र दोनों ही केंद्र एवं राज्य सरकार के focus areas हैं। इसके अंतर्गत और अधिक वृद्धि करने का प्रयास करें जिससे राज्य का under-privileged वर्ग लाभान्वित होगा।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>Achievement against stipulated benchmark on December - 2024</u>

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- राज्य में सीडी अनुपात में **2.87%** की वृद्धि हुई है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र outstanding में **रु. 52,555 करोड़** की Y-O-Y बढ़ौतरी हुयी है।
- कृषि क्षेत्र outstanding में **रु. 20,339 करोड़** की Y-O-Y बढ़ौतरी हुयी है।
- माइक्रो खातों में **रु 16,592 करोड़** की Y-O-Y बढ़ौतरी हुयी है।
- एमएसएमई के तहत माइक्रो खातों की बकाया राशि में **रु. 31,604 करोड़** की Y-O-Y बढ़ौतरी हुई है।

<u>Districts wise CD ratio in Rajasthan</u>

No. of District	CD Ratio Range	Name of Districts
26	>100%	Balotra, Anupgarh, Sanchore, Hanumangarh, Dudu, Phalodi, Bhilwara, Jaisalmer, Jodhpur Gramin, Pratapgarh, Kekri, Nagaur, Shahpura, Sriganganagar, Jhalawar, Khairthal-Tijara, Jaipur Gramin, Tonk, Sikar, Bundi, Bikaner, Chittorgarh, kotputli-Behror, Baran, Churu, Neem Ka Thana
19	70-100%	Beawar, Barmer, Deeg, Jaipur Urban, Didwana Kuchaman, Banswara, Sawai Madhopur, Alwar, Dausa, Kota, Gangapur City, Jodhpur Urban, Udaipur, Jalore, Jhunjhunu, Rajsamand, Pali, Dholpur, Karauli
5	50-70%	Bharatpur, Salumber, Ajmer, Dungarpur, Sirohi

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-

- राजस्थान का CD ratio 98.60% है। इसके सापेक्ष सिरोहित ज़िले का CD ratio इतना कम क्यों है?
- सिरोही एक आकांक्षी ज़िला है, जिसमे इतना कम CD ratio स्वीकार्य नहीं है। यह मुद्दा कभी राष्ट्रीय स्तर पर संज्ञान में लिया जा सकता है। हालांकि ज़िले में बड़ी मात्रा में bulk-deposit आ रहा है है, फिर भी यहाँ क्रेडिट बढ़ाते हुए CD ratio बढ़ाने हेतु अधिक विचार किया जाना चाहिए क्योंकि आबू रोड व पिंडवाड़ा मुख्यतः आदिवासी क्षेत्र हैं। अतः आदिवासियों से संबन्धित योजनाओं के तहत इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक ऋण प्रदान करके credit penetration बढ़ाया जा सकता है। आबू-रोड औद्योगिक क्षेत्र भी है। अतः आबू रोड एवं पिंडवाड़ा में ऋण प्रदान करने की अधिक संभाव्यताएँ मौजूद हैं।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- सिरोही ज़िले द्वारा दिसम्बर, 2024 तिमाही में CD ratio के तहत 50% mark क्रॉस कर लिया गया है। इसका कारण रु 431 करोड़ की Q-O-Q credit वृद्धि एवं रु 232 करोड़ की Q-O-Q deposit वृद्धि है।
- सितंबर 2024 के सापेक्ष दिसम्बर 2024 में सिरोही ज़िले के आबू रोड ब्लॉक में deposits के तहत रु 126.96 करोड़ की वृद्धि हुई है। सिरोही ज़िले में प्रति-दिन बड़ी मात्रा में deposits आ रहे हैं जिसके कारण CD ratio धीमी गति से बढ़ रहा है।
- एसएलबीसी ने सिरोही ज़िले हेतु monitorable action plan इस प्रकार बनाया है, जिसके तहत ब्लॉक-वार प्रगति की निगरानी की जा रही है-
  - संबन्धित ब्लॉक में BC penetration बढ़ाना।
  - संबन्धित ब्लॉक के पिछड़े हुए गाँव में FLC शिविर एवं क्रेडिट शिविरों का आयोजन।
  - सरकारी योजनाओं के तहत ऋण आवेदनों में Turn Around Time और लंबित आवेदनों की संख्या कम करना।
  - अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किए गए एवं सरकारी योजनाओं के तहत credit penetration को बढ़ावा दिया गया।

Blocks having CD ratio lower than all India level (as on 31st December, 2024)

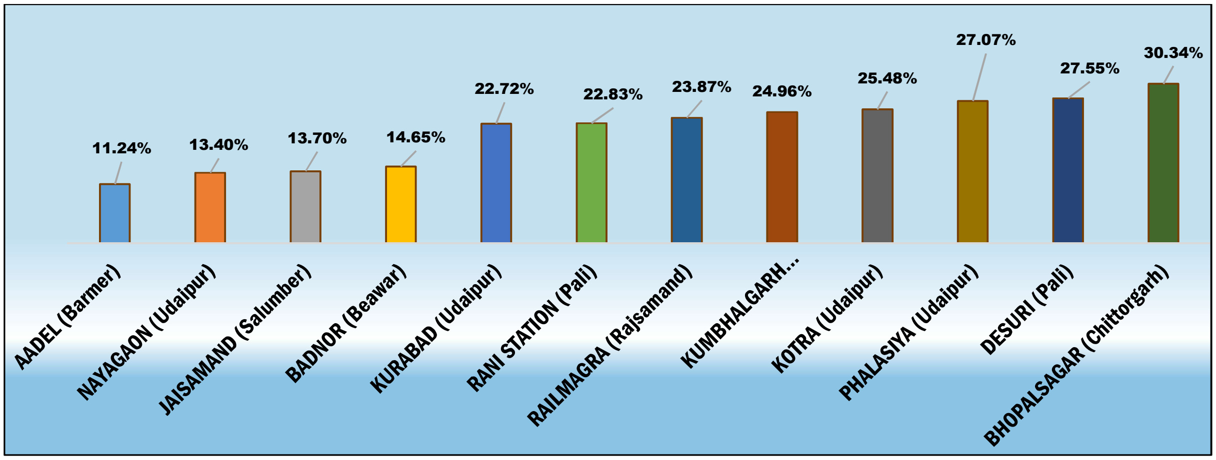

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने कहा कि-

- सीडी अनुपात सुधारने हेतु उक्त ब्लॉक में कार्यरत बैंकों एवं संबन्धित अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से मिशन मोड में कार्य करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक बाड़मेर, उदयपुर, सलूम्बर, बियावर, उदयपुर, पाली,, राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़)

- इस बैठक के पश्चात एसएलबीसी द्वारा उदयपुर ब्लॉक का CD ratio सुधारने हेतु भी monitorable action plan बनाया जाएगा। उल्लेखित अन्य सभी ब्लॉक के लिए भी monitorable action प्लान बनाकर, संबन्धित अग्रणी ज़िला प्रबन्धक से समन्वयय करके इन ब्लॉक में CD ratio सुधारने का प्रयास किया जाएगा।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- उल्लेखित ब्लॉक में संबन्धित अग्रणी ज़िला प्रबन्धक CD ratio सुधारने पर ध्यान दें। इस पर DCC/ DLRC एवं BLBC की बैठकों में भी चर्चा करें एवं credit penetration बढ़ाएँ। इन जिलों के CD ratio में प्रति तिमाही उचित सुधार दिखना चाहिए।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक बाड़मेर, उदयपुर, सलूम्बर, बियावर, उदयपुर, पाली,, राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़)

प्रतिनिधि, सिडबी की टिप्पणी- सिडबी ने सिरोही ज़िले को micro enterprise promotion programme के तहत adopt किया है जिसमे कुल 500 micro इकाइयां सिरोही ज़िले में स्थापित की जाएंगी। इनमे से 100 माइक्रो इकाइयां वर्तमान तक स्थापित कर दी गयी हैं।

Comparative Development of Rajasthan from Sep ’24 to Dec ’24

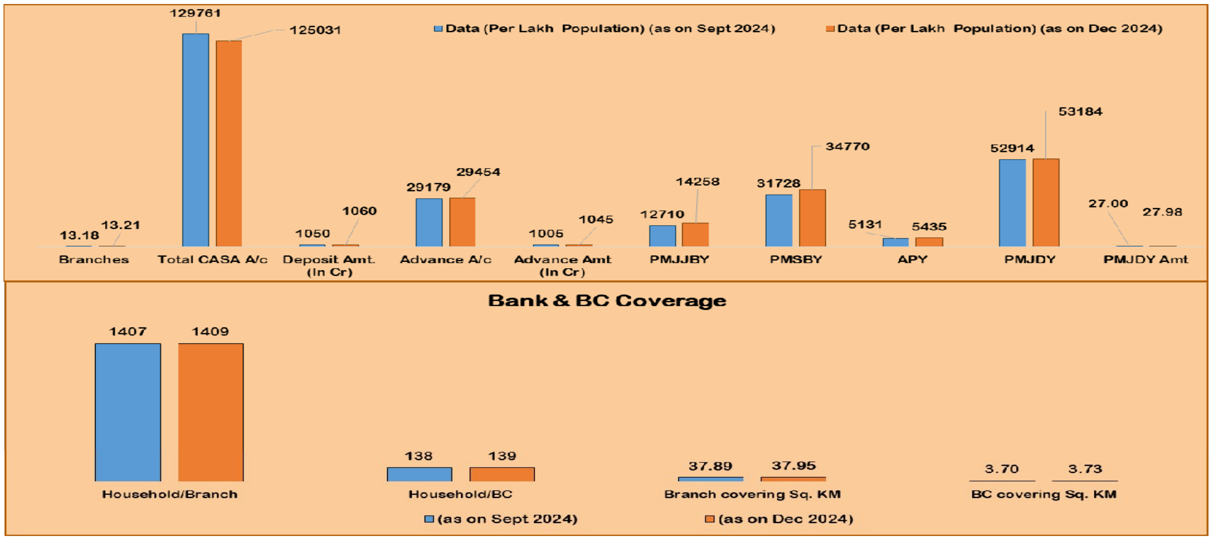

Comparative Development of the Districts (Outstanding as on 31st Dec, 2024)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि CASA A/C per lakh population के तहत न्यूनतम deposit penetration वाले ज़िले इस प्रकार है-

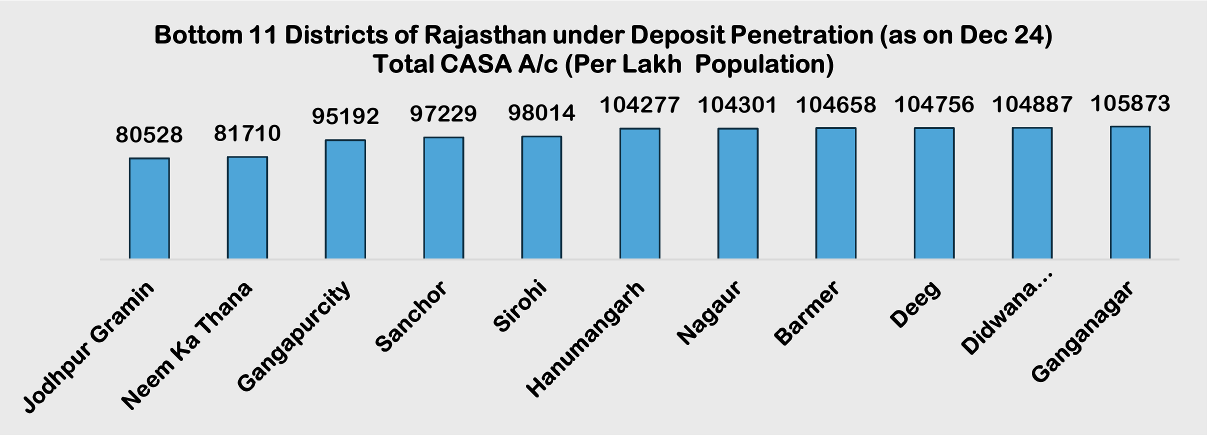

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि ऋण खाते प्रति लाख जनसंख्या के तहत न्यूनतम credit penetration वाले ज़िले इस प्रकार है-

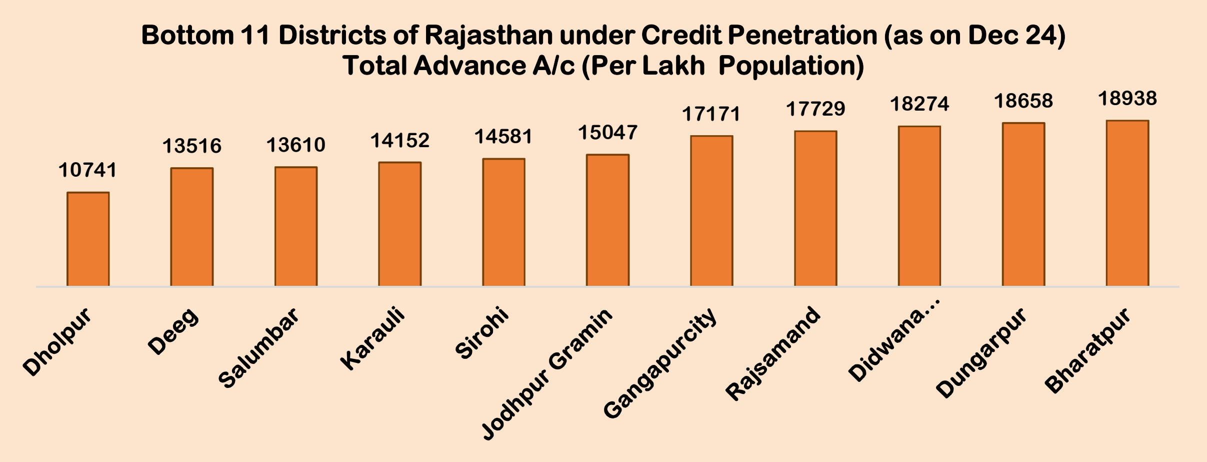

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार का प्रश्न-

- सबसे अधिक ऋण खाते प्रति लाख जनसंख्या किस ज़िले में हैं?
- ऋण खाते प्रति लाख जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत एवं राज्य औसत कितना है?

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि सबसे अधिक ऋण खाते प्रति लाख जनसंख्या जयपुर (52,000) में हैं।

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- जयपुर और धौलपुर जिलों में ऋण खाते प्रति लाख जनसंख्या में 5 गुना अंतर है जो बहुत अधिक है।

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि credit penetration में जो ज़िले न्यूनतम स्तर पर हैं, इनमे NPA भी अधिक है जिसके कारण बैंक इन जिलों में ऋण प्रदान करने में सहज नहीं हैं।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी- हालांकि राजस्थान का CD ratio अधिक है पर राज्य के deposits की राज्य के GDP से तुलना करने पर पाया जाता है कि राज्य का deposit to GDP ratio लगभग 48% है जबकि इसका राष्ट्रीय आंकड़ा लगभग 71% है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जसकता है कि राज्य का untapped deposit potential लगभग रु 2.5-3.5 लाख करोड़ है।

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-

- राज्य में उत्पन्न होने वाली बढ़ी मात्र में आय बैंक जमा के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर जा रही है।
- यह समझने की आवश्यकता है कि राज्य में बैंकिंग सेवाओं की उपस्थिती एवं गुणवत्ता कितनी है, क्या साइबर/डिजिटल अपराधों के कारण लोग बैंकों में पैसे नहीं रख रहे हैं, इत्यादि।

<u>District wise per capita comparison</u>

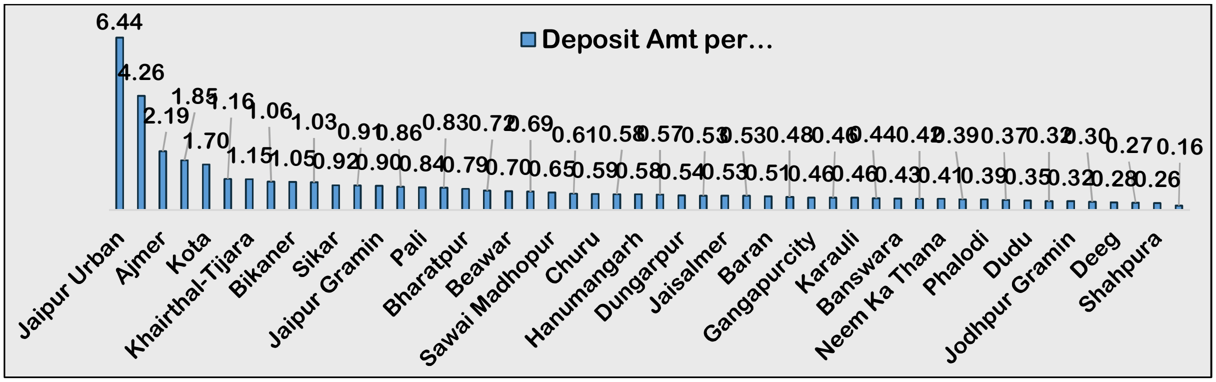

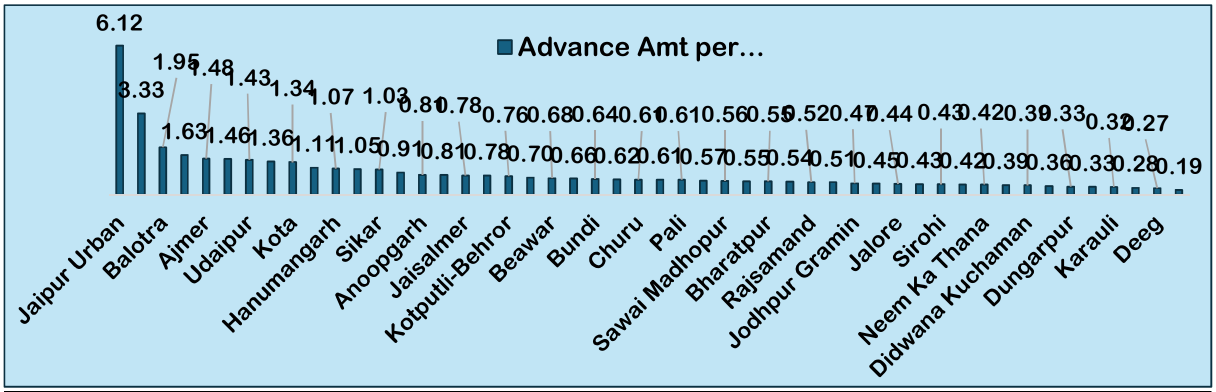

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-

- जयपुर शहरी एवं डीग के deposit amount per capita एवं advance account per capita में 20 गुना से भी अधिक अंतर है।
- ज़िला-दर-ज़िला deposit amount per capita एवं advance account per capita में इतने अधिक अंतर को कम करने हेतु कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- deposit amount per capita एवं advance account per capita की ज़िले-वार तुलना को बेहतर समझने के लिए इसके डाटा की, संबन्धित ज़िले में per capita income से भी तुलना की जानी चाहिए।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राजस्थान सरकार के सुझाव की प्रशंसा करी।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड की टिप्पणी- शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में भी deposit amount per capita एवं advance account per capita की तुलना की जा सकती है।

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी- धौलपुर एवं भरतपुर में कार्यरत कुछ बैंकों के कृषि ऋण पोर्टफोलियो में 30% खाते NPA हैं जिसके कारण बैंक कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में भी ऋण प्रदान करने में सहज नहीं हैं।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि बलोतरा ज़िले में अभियान के माध्यम से पशुपालन केसीसी में बहुत सुधार हुआ है।

Annual Credit Plan F.Y. 2024-25

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि वार्षिक साख योजना 2024-25 हेतु निर्धारित लक्ष्य **रु. 3,60,221 करोड़** के सापेक्ष 31 दिसम्बर, 2024 तक क्षेत्र-वार उपलब्धि निम्नानुसार है-

- **कृषि- 74.74%**
- **MSME- 83.04%**
- **अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 32.11%**
- **कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 76.12%**

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी-

- ➢ हम वार्षिक साख योजना 2024-25 के तहत निर्धारित समय सीमा में 100% लक्ष्य उपलब्ध करने हेतु आश्वस्त हैं।
- ➢ सभी बैंकों से अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- पिछली एसएलबीसी की बैठक में दिसम्बर 2024 तिमाही के अंत वार्षिक साख योजना 2024-25 के तहत 75% लक्ष्य उपलब्ध करने हेतु दिशा-निर्देश दिया गया था, जिसे निर्धारित समय में उपलब्ध कर लिया गया है।

Banks having performance below 75% under Annual Credit Plan (ACP) during F.Y. 24-25 (upto 31st Dec, 2024)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वार्षिक साख योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिसम्बर 2024 तक **75% से कम** उपलब्धि वाले बैंक यथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (34.69%), आईडीबीआई बैंक (45.47%), इंडियन बैंक (46.07%), इंडियन ओवरसीज़ बैंक (63.41%), आरएमजीबी (64.52%), यस बैंक (65.63%), आरएससीबी (65.63%), एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक (68.14%), पंजाब एंड सिंध बैंक (69.64%), भारतीय स्टेट बैंक (69.64%), इंडसइंड बैंक (70.57%) एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (71.98%) से वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही : बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, आरएमजीबी, यस बैंक, आरएससीबी, एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)

प्रतिनिधि, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सूचित किया कि दिसम्बर 2024 तिमाही में रु 300 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए थे किन्तु उनमे ऋण वितरण नहीं हुआ जिसके कारण प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है। 15 फरवरी 2025 तक बैंक द्वारा रु 370 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। उन्होने निर्धारित समय सीमा में वार्षिक साख योजना 2024-25 के लक्ष्य उपलब्ध करने का आश्वासन दिया।

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-

- ➢ भारतीय स्टेट बैंक राज्य का सबसे बड़ा बैंक है पर वार्षिक साख योजना 2024-25 के अंतर्गत उपलब्धि, लक्ष्य से रु 15,000 करोड़ कम है जो चिंताजनक है।
- ➢ आरएमजीबी की उपलब्धि, लक्ष्य से रु 4,000 करोड़ कम है, यस बैंक की रु 2,500 करोड़ एवं एयू बैंक की रु 3,000 करोड़ कम है।

- दिसम्बर 2024 तिमाही के अंत तक वार्षिक साख योजना 2024-25 के तहत 75% से कम प्रगति वाले बैंक अधिक से अधिक ऋण प्रदान करते हुए अपने प्रदर्शन में सुधार करें।

(कार्यवाही : बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, आरएमजीबी, यस बैंक, आरएससीबी, एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)

Agency wise snapshot of Investment Credit under Agriculture (as on 31.12.2024)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि-

- दिनांक 31.12.2024 तक वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंकों का कुल कृषि अग्रिम के सापेक्ष निवेश ऋण क्रमशः **36.19%, 9.67%, 7.86% एवं 99.63%** हैं। सहकारी बैंकों का कुल कृषि ऋण में कृषि निवेश ऋण प्रतिशत सितंबर 2024 तिमाही के सापेक्ष कम हुआ है।
- दिनांक 31.12.2024 तक राजस्थान राज्य के कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण की प्रतिशत **(31.1%)** से कम प्रतिशत वाले बैंक निम्नानुसार हैं- आरएमजीबी (2.87%), यूको बैंक (12.13%), राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (4.00%), भारतीय स्टेट बैंक (12.81%), केनरा बैंक (15.85%), बीआरकेजीबी (12.59%), पंजाब और सिंध बैंक (14.30%), इंडियन बैंक (24.91%), बैंक ऑफ बड़ौदा (25.20%), पंजाब नेशनल बैंक (14.49%), आईडीबीआई (11.42%), फेडरल बैंक (10.47%) एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (7.87%)।
- उक्त बैंकों से अनुरोध है कि कुल कृषि निवेश ऋण, कुल कृषि ऋण के 40% तक बढ़ाने हेतु कार्ययोजना बनाकर अग्रिम कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: आरएमजीबी, यूको बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बीआरकेजीबी, पंजाब और सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक आईडीबीआई, फेडरल बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

प्रतिनिधि, आरएमजीबी ने सूचित किया कि कुल कृषि ऋण में कृषि निवेश ऋण प्रतिशत में वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 में रु 70-80 करोड़ की नकारात्मक वृद्धि हुई थी। किन्तु इस वर्ष रु 128 करोड़ की सकारात्मक वृद्धि हुई है। मार्च 2024 में कुल कृषि ऋण में कृषि निवेश ऋण 2.05% था जो जनवरी 2025 में बढ़कर 3.46% हो गया है। बैंक आशान्वित है कि इसमे और सुधार होगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- सहकारी बैंक द्वारा कुल कृषि ऋण में कृषि निवेश ऋण प्रतिशत में नकरत्मक वृद्धि क्यों हुई है? उन्होने सहकारी बैंकों से कुल कृषि ऋण में कृषि निवेश ऋण प्रतिशत बढ़ाने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार एवं समस्त सहकारी बैंक)

प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि पिछले वर्ष नाबार्ड द्वारा रु 4600 करोड़ का refinance प्राप्त हुआ था एवं सहकारी बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में रु 22000 करोड़ का short-term ऋण दिया गया था। इस वर्ष, अभी तक सहकारी बैंकों द्वारा रु 23000 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष रु 20,000 करोड़ का ऋण दिया गया है पर नाबार्ड से रु 2600 करोड़ का ही refinance प्राप्त हुआ है। इसी कारण से सहकारी बैंकों द्वारा दिये गए कृषि निवेश ऋण में कमी आई है। सहकारी बैंक लक्ष्य उपलब्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Setting up of Brick-and-Mortar Branches Status as on 21.01.2025

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्थान में ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोलने के लिए चिन्हित **108 (95+13)** स्थानों में से **33 (30+3)** केन्द्रों पर पहले से शाखा खुली हुई हैं एवं शाखाओं को जन धन दर्शक

ऐप्प पर अद्यतित कर दिया गया है। दिनांक 21.01.2025 तक **73 (64+9)** केन्द्रों पर शाखा खोली जा चुकी हैं एवं **02** केन्द्रों पर ब्रिक और मोर्टर शाखा खोलना लंबित है जिसकी स्थिति निम्नानुसार है-

BANK WISE STATUS OF ALLOCATION OF IDENTIFIED LOCATIONS FOR BRICK & MORTAR BRANHCES							
Sr. no.	**District**	**Sub District**	**Village Code**	**Village Name**	**Population**	**New Allotment (05.09.2022 & 18.04.2023)**	**Branch Opened yes/No**
1	Barmer	Chohtan	88879	Beejasar	4797	Punjab National Bank	No
2	Jaisalmer	Pokaran	86330	Madwa	3423	State Bank of India	No
3	Jodhpur	Osian	084511	Ompura	4173	IDFC FIRST Bank	Yes, Not updated on JDD app

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक ने बीजासर गाँव में 15 मार्च 2025 तक ब्रिक एंड मोर्टार शाखा खोलने का आश्वासन दिया है।

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया कि connectivity से संबन्धित समस्या के कारण बीजासर गाँव में शाखा खोलने में विलंब हो रहा है। उन्होने समस्या का समाधान करके जल्द ही शाखा का संचालन प्रारम्भ करने का आश्वासन दिया।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 27.01.2025 के माध्यम से 9 अतिरिक ग्रामों की सूची (जिनमे ब्रिक एंड मोर्टार शाखा नहीं है एवं जिनकी जनसंख्या 3000 से अधिक है), ब्रिक एंड मोर्टार शाखा खोलने हेतु प्रेषित की है। उक्त ग्राम एसएलबीसी के द्वारा पत्र दिनांक 10.02.2025 के माध्यम से सदस्य बैंकों को निम्नानुसार आवंटित कर दिये गए हैं-

Villages of population above 3000 not having bank branch within 5km radius - SLBC Rajasthan								
State	**District**	**Sub district**	**District code**	**Village code**	**village name**	**population**	**Allocated Bank**	**Allocated Sponsored Bank**
RAJASTHAN	Hanumangarh	Rawatsar	100	68469	14 KM	3246	State Bank of India	
RAJASTHAN	Barmer	Pachpadra	115	87317	Mewa Nagar	4553	State Bank of India	
RAJASTHAN	Ajmer	Kekri	119	92431	Dhoondhari	4242	Bank of Maharshtra	
RAJASTHAN	Hanumangarh	Nohar	100	68679	11 NTR-B	3039	RMGB	State Bank of India
RAJASTHAN	Ajmer	Kekri	119	92422	Pranhera	4455	HDFC	
RAJASTHAN	Ajmer	Kekri	119	92412	Meoda Kalan	3838	AXIS	
RAJASTHAN	Pali	Jaitaran	118	90440	Sewariya	3155	AU Finance Bank Ltd.	
RAJASTHAN	Nagaur	Kheenvsar	113	83073	Dheengsara	3015	ICICI	
RAJASTHAN	Bikaner	Bikaner	101	69059	Katariyasar	3554	RMGB	State Bank of India

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने संबन्धित बैंकों से अनुरोध किया कि आवंटित केन्द्रों पर जल्द-से-जल्द ब्रिक एंड मोर्टार शाखा खोलना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आरएमजीबी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एवं आरएमजीबी बैंक)

<u>Inactive Fixed Point BC data</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को राज्य के दिनांक 30.09.2024 के सापेक्ष दिनांक 31.12.2024 तक के Inactive Fixed Point BC data की बैंक-वार स्थिति एवं BC inactivity में बैंकों की योगदान प्रतिशत से निम्नानुसार अवगत करवाया-

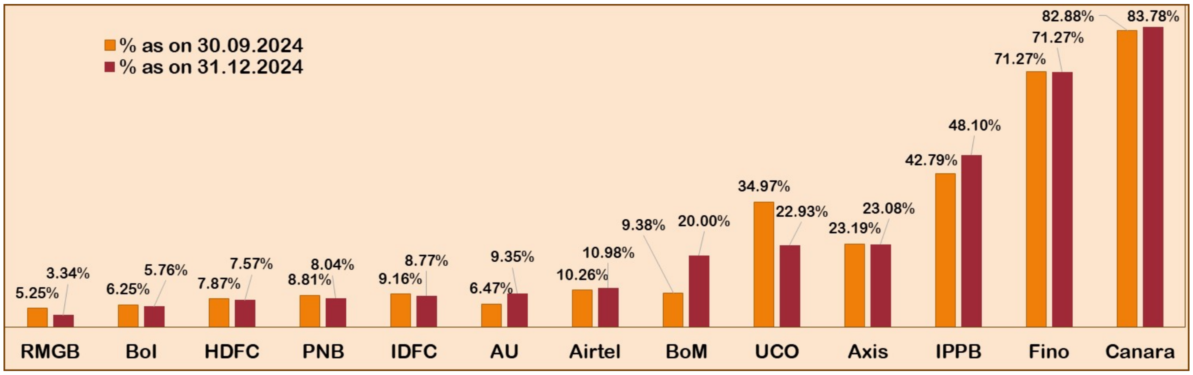

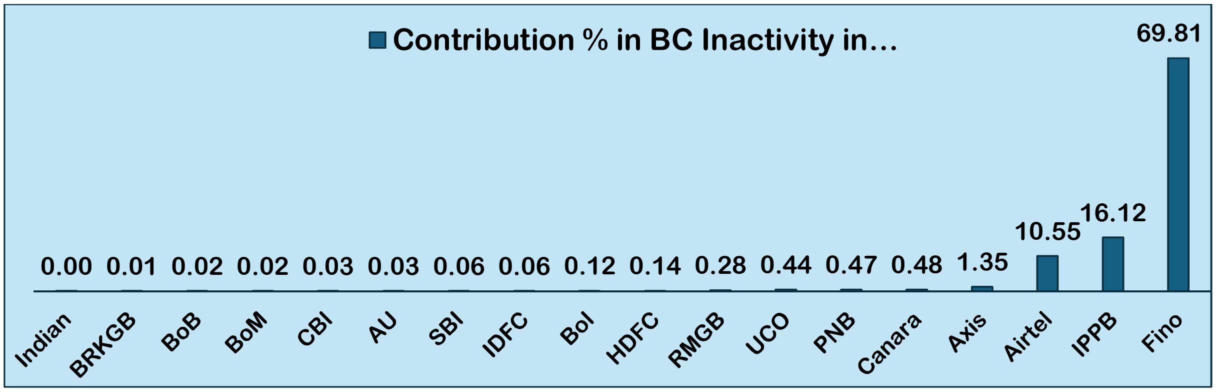

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक**,** बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं केनरा बैंक का inactive BC प्रतिशत बढ़ गया है। उन्होने 5% से अधिक BC inactivity प्रतिशत वाले बैंकों से असक्रिय BC को जल्द-से जल्द सक्रिय करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफ़सी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीएफ़सी बैंक, एयू बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, आईपीपीबी, फिनो पेमेंट्स बैंक एवं कैनरा बैंक)

प्रतिनिधि, फिनो पेमेंट्स बैंक ने सूचित किया कि बैंक के सभी inactive BC, पुराने बैंक मित्र हैं जो असक्रिय ही रहेंगे। अप्रेल 2025 तक सभी निष्क्रिय BCs को हटाने का आश्वासन दिया।

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी- फिनो पेमेंट्स बैंक के निष्क्रिय बैंक मित्रों की संख्या में कोई प्रगति नहीं है। कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

(कार्यवाही: फिनो पेमेंट्स बैंक)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- कुल असक्रिय बैंक मित्रों में 70% योगदान फिनो पेमेंट्स बैंक का है। असक्रिय बैंक मित्रों की संख्या कम करने के लिए अतिशीघ्र कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: फिनो पेमेंट्स बैंक)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने फिनो**,** आईपीपीबी एवं एयरटेल पेमेंट्स बैंकों से अनुरोध किया कि बैठक के 1 सप्ताह के अंदर**,** अपना BC model एसएलबीसी को प्रेषित करें जिससे एसएलबीसी विश्लेषण कर सके कि बैंकों में BC inactivity प्रतिशत इतनी अधिक क्यों है।

(कार्यवाही: फिनो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक एवं आईपीपीबी)

Sector wise NPA Position as on 31st Dec, 2024

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि राज्य में क्षेत्र वार NPA की 31 दिसम्बर, 2024 तक की स्थिति निम्नानुसार है-

कुल- रु 23539 करोड़
कृषि- रु 13611 करोड़
एमएसएमई- रु 4028 करोड़
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- रु 902 करोड़
कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- रु 19106 करोड़

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि सितंबर 2024 तिमाही के अंत में कृषि NPA 70.38% था जो दिसम्बर 2024 तिमाही के अंत तक बढ़ कर 71.24% हो गया है। बढ़ते NPA के कारण बैंक कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में ऋण प्रदान नहीं कर रहे हैं। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि बैंकों के बकाया ऋण की वसूली हेतु RACO-RODA तथा सरफेसी ऐक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों के अतिधीघ्र निस्तारण एवं PDR ऐक्ट में आवश्यक संशोधन करवाएँ।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने एसएलबीसी से NPA का ज़िले-वार डाटा प्रेषित करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के NPA का क्षेत्र वार वर्गिकरण निम्नानुसार है-
कुल कृषि- 71.24%
कुल एमएसएमई- 24.04%
कुल अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 4.72%

<u>Comparison chart of NPA (%)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने NPA के तहत 30.09.2024 के सापेक्ष 31.12.2024 की क्षेत्रवार स्थिति से सदन को निम्नानुसार अवगत कराया-

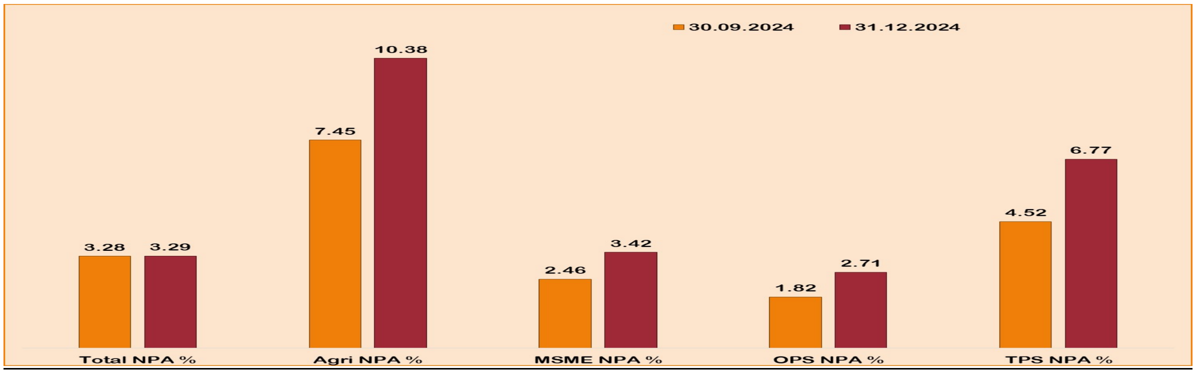

<u>Education Loan</u>
बैंकों द्वारा वर्ष 2024-25 में दिसम्बर, 2024 तिमाही तक राज्य में **17,510** छात्रों को राशि **रू 723.98 करोड़** के शिक्षा ऋण वितरित किए गए हैं एवं दिनांक 31.12.2024 तक **46,021** खातों में **रु 3276.78** करोड़ की राशि outstanding है।

<u>Progress under the 3 month campaign for saturation under Jan Suraksha schemes at Gram panchayat (GP) level in all districts from 15.10.2024 to 15.01.2024</u>

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा दिनांक 15.10.2024 से 15.01.2025 तक निम्नानुसार जन सुरक्षा योजनाओं हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित अभियान में सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों द्वारा अपने ज़िले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन सुरक्षा योजनाओं हेतु शिविरों का आयोजन करवाया गया जिसकी प्रगति निम्नानुसार है-

Progress under Saturation campaign of PMJJBY & PMSBY schemes at GP level in all districts from 15.10.2024 to 15.01.2025				
District Name	**No of GPs data updated on portal**	**% Ach. of GP Covered**	**PMJJBY Opened**	**PMSBY Opened**
Grand Total	**11266**	**100.00**	**341918**	**549329**

<u>Atal Pension Yojna FY 2024-25 upto 08.02.2025:</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि-

- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु राज्य में APY के तहत कुल **6,34,080** नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 08.02.2025 तक **5,25,681 (83%)** नामांकन किए गए हैं।
- अटल पेंशन योजनान्तर्गत **एजेंसी-वार** उपलब्धि निम्नानुसार है-
  - **सार्वजनिक बैंक- 91%**
  - **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- 98%**
  - **स्माल फ़ाइनेंस बैंक- 78%**
  - **एचडीएफ़सी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक- 24%**
  - **अन्य निजी बैंक- 76%**
  - **सहकारी बैंक- 1%**
- **एचडीएफ़सी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक एवं आईडीबीआई बैंक** एवं सहकारी बैंकों से विशेष अनुरोध है कि अटल पेंशन योजना में सक्रिय भागीदारी करते हुए अपने प्रदर्शन में सुधार करें जिससे राज्य में APY के तहत लक्ष्यों की 100% उपलब्धि हो सके।

(कार्यबाही: एचडीएफ़सी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक एवं सहकारी बैंक)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने APY के तहत उच्चतम एवं न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले बैंकों की स्थिति से सदन को निम्नानुसार अवगत कराया-

Top Performing Banks as on 08.02.2025							
Sr. No.	Bank Name	No. of Branches	AAPB Target	Target alloted	Ach.	%age Ach	APY accounts opened since inception
1	PUNJAB AND SIND BANK	54	90	4860	7181	147.76%	39955
2	INDIAN OVERSEAS BANK	67	90	6030	8692	144.15%	46698
3	STATE BANK OF INDIA	1381	90	124290	159706	128.49%	1192142
4	YES BANK LIMITED	80	35	2800	3967	141.68%	15101
5	IDBI BANK LTD	79	70	5530	6613	119.58%	24463
6	BANK OF BARODA	660	90	59400	61458	103.46%	479685
7	AU SMALL FINANCE BANK	197	65	12805	13113	102.41%	62880
8	RMGB	717	90	64530	65923	102.16%	386543

Bottom Performing Banks as on 08.02.2025							
Sr. No.	Bank Name	No. of Branches	AAPB Target	Target alloted	Ach.	%age Ach	APY accounts opened since inception
1	BANK OF MAHARASHTRA	51	90	4590	2958	64.44%	17672
2	CENTRAL BANK OF INDIA	169	90	15210	9547	62.77%	101477
3	PUNJAB NATIONAL BANK	726	90	65340	34226	52.38%	209982
4	BANK OF INDIA	152	90	13680	6194	45.28%	99119
5	HDFC BANK LTD	419	70	29330	9165	31.25%	44103
6	UCO BANK	245	90	22050	6340	28.75%	66165
7	ICICI BANK LIMITED	431	70	30170	2534	8.40%	59002
8	AXIS BANK LTD	170	70	11900	431	3.62%	22792

प्रतिनिधि, एक्सिस बैंक ने सूचित किया कि बैंक द्वारा पिछली तिमाही में APY के तहत प्रदर्शन सुधारने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही की गयी है। साथ ही बैंक द्वारा शाखाओं को APY के अंतर्गत लक्ष्य आवंटित किए गए हैं जिनके तहत प्रगति की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है।

प्रतिनिधि, आईसीआईसीआई बैंक ने सूचित किया कि बैंक द्वारा APY के तहत प्रदर्शन को सुधारने हेतु नियमित रूप से शाखाओं के साथ अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है। बैंक का customer segment अधिक आय वाला है, जो अटल पेंशन योजना के तहत पात्र नहीं हैं। उन्होने वित्तीय वर्ष के अंत तक 30-35% लक्ष्य प्राप्त करने का आश्वासन दिया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- आईसीआईसीआई बैंक की एक्सिस बैंक से बहुत अधिक शाखाएँ हैं, तो प्रगति भी बहुत अधिक होनी चाहिए। साथ ही कुछ निजी बैंकों द्वारा APY के तहत उत्कृष्ट प्रगति की गयी है जिनका customer base भी आईसीआईसीआई बैंक के अनुरूप है। आईसीआईसीआई बैंक की ग्रामीण क्षेत्रों में भी शाखाएँ हैं। अतः आईसीआईसीआई बैंक द्वारा APY के लक्ष्य (उल्लेखित कारणों से) उपलब्ध करने में असमर्थता व्यक्त करना स्वीकार्य नहीं है।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड की टिप्पणी- आईसीआईसीआई बैंक में (वर्ष 2010 में) द बैंक ऑफ राजस्थान लि. का विलय हुआ था जिसकी ग्रामीण क्षेत्रों में कई शाखाएँ थी। इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा APY के तहत असंतोषजनक प्रगति करने का यह कारण नहीं दिया जा सकता कि APY से लाभान्वित करने हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र ग्राहक नहीं है।

<u>Property cards issued under Svamitva Scheme</u>

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- राजस्थान राज्य में आवासीय उद्देश्य के लिए आबादी भूमि के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए जाते हैं, न कि स्वामित्व योजना में निर्दिष्ट प्रॉपर्टी कार्ड।
- पट्टे पर "डिफॉल्ट के मामले में संपत्ति की बिक्री नहीं करने" की शर्त है जो बैंकों को SARFAESI अधिनियम 2002 के तहत सुरक्षा लागू करने के लिए प्रतिबंधित करती है। उक्त पट्टे के आधार पर निर्माण कार्य के अतिरिक्त किसी प्रायोजन के लिए ऋण देने का प्रावधान नहीं है।
- राज्य में दिनांक 31.12.2024 तक 2.56 लाख property cards जारी किए गए हैं।

- एसएलबीसी द्वारा राजस्थान में जारी किए जाने वाले पट्टे की शर्तों में संशोधन कर, इसे स्वामित्व योजना हेतु मान्य बनाने के अनुरोध संबन्धित विभाग से किया गया है। विभाग के स्तर से कार्यवाही प्रतीक्षित है।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के साथ उक्त मुद्दे पर अलग से चर्चा करें एवं की गयी कार्यवाही से आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार को भी अवगत करवाएं।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने स्वामित्व योजना के मुद्दे पर अलग से विभाग के साथ चर्चा करने का आश्वासन दिया।

Reduction in Frequency of DLRC meetings

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सितंबर 2024 एवं दिसम्बर 2024 तिमाहियों में सांसद/ विधायकों द्वारा **DLRC** की बैठकों में सहभागिता की स्थिति से सदन को निम्नानुसार अवगत कराया-

Public Representative (MP/MLA) participate in past quarters	Public Representative (MP/MLA) did not participate in past quarters
July-Sep 2024 Qtr: Gangapur City, Jaisalmer Oct- Dec 2024 Qtr: Gangapur City, Jaisalmer, Jaipur Urban, Jaipur Rural	**There was no participation of public representatives reported by districts other than those mentioned specifically.**

PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि पीएम-स्वनिधि योजना के तहत **3,12,240** के लक्ष्य के सापेक्ष राज्य में दिनांक 03.02.2025 तक **2,54,277** आवेदन स्वीकृत किए हैं जिनमें से **2,44,201** आवेदनों में **रु. 311.84 करोड़** वितरित किए गए हैं। **10,076** स्वीकृत किए गए आवेदनों में ऋण वितरण लंबित है। सभी बैंकों से जल्द से जल्द उक्त योजनान्तर्गत लंबित आवेदनों का निस्तारण करने एवं शत प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

PM SVANidhi के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Banks as on 03.02.2025						Bottom Performing Banks as on 03.02.2025					
Sr. No.	Bank Name	Target alloted by DFS (Loan Disbursement) UPTO 31.12.2024	Total Application Sponsored	Total Disb (Account)	%age Ach of First Term Loan	Sr. No.	Bank Name	Target alloted by DFS (Loan Disbursement) UPTO 31.12.2024	Total Application Sponsored	Total Disb (Account)	%age Ach of First Term Loan
1	State Bank of India	103995	148596	117247	95.04	1	IndusInd Bank	2715	425	2	0.00
2	Bank of Baroda	56442	60030	47667	84.48	2	Axis Bank	4143	968	31	0.88
3	Bank of India	10317	11242	9133	82.74	3	AU Small Finance Bank limited	4301	482	166	4.12
4	Bank of Maharashtra	3205	4349	2711	81.95	4	HDFC Bank LTD	5466	1712	372	7.64
5	Central Bank of India	9677	10900	8331	78.86	5	Yes Bank Ltd	2244	381	278	14.62

कम प्रगति वाले बैंकों से योजनान्तर्गत तिमाही के अंत तक प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: एचडीएफ़सी बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक एवं एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक)

National Rural Livelihood Mission (NRLM)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत **1,36,700** खातों में **रु 2,550 करोड़** का ऋण वितरण करने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 11.02.2025 तक **93,503 खातों (68.40%)** में **रु 1853.15 करोड़ (72.67%)** का ऋण वितरण किया गया है।

NRLM के तहत राज्य के उच्चतम एवं न्यूनतम उपलब्धि वाले ज़िले निम्नानुसार हैं-

Top 5 Districts				
Sno.	**District**	**Disbursement Amt. Target**	**Disbursement Amt. Achievement**	**Disbursement Amt. %age**
1	ALWAR	11,350.00	16,031.41	100.00
2	DAUSA	5,350.00	6,206.29	100.00
3	JAIPUR	10,870.00	13,919.41	100.00
4	JHUNJHUNU	6,630.00	6,710.33	100.00
5	AJMER	11,220.00	11,130.83	99.21

Bottom 5 Districts				
Sno.	**District**	**Disbursement Amt. Target**	**Disbursement Amt. Achievement**	**Disbursement Amt. %age**
1	CHITTORGARH	9,660.00	4,254.16	44.04
2	JAISALMER	680.00	298.50	43.9
3	SAWAI MADHOPUR	5,480.00	2,032.13	37.08
4	JALOR	1,060.00	381.11	35.95
5	SIROHI	4,060.00	617.90	15.22

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने उच्चतम प्रदर्शन करने वाले जिलों की प्रशंसा की। साथ ही बैंकों से अनुरोध किया कि न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले जिलों में कार्यरत अपनी शाखाओं को NRLM के तहत अपने प्रदर्शन में जल्द-से-जल्द सुधार करते हुए, अधिक-से-अधिक स्वयं सहायता समूहों को NRLM के तहत लाभान्वित करने हेतु निर्देशित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** की टिप्पणी-

- सिरोही ज़िले में भी अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषन प्रदान करके अग्रिम का स्तर बढ़ाया जा सकता है, जिससे ज़िले के CD ratio में भी सुधार होगा।
- बैंक शाखाओं एवं विभाग के बीच कुछ communication gap होने के कारण योजना के उचित कार्यान्वयन में समस्या आ रही थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने राजीविका के DPMs के साथ whatsapp groups बनाए हैं जिसके कारण बैंक के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। अन्य बैंक भी इसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर राजीविका विभाग के DPMs के साथ whatsapp group बनाकर समन्वय करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

प्रतिनिधि, **राजीविका विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि NRLM के तहत जिन जिलों में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, विभाग द्वारा उन जिलों में NRLM के शिविर आयोजित करने का प्रयास किया गया है, जैसे सिरोही, जालोर, इत्यादि। साथ ही योजनान्तर्गत बैंकों के पास 14,112 आवेदन लंबित हैं, जिन्हे समय से निस्तारित करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

क्षेत्रीय निदेशक, **भारतीय रिजर्व बैंक** की टिप्पणी- ऐसा प्रतीत होता है कि NRLM के तहत निजी बैंकों द्वारा ऋण वितरण राशि के 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं**,** जो सराहनीय है।

प्रतिनिधि, **आईसीआईसीआई बैंक** ने सूचित किया कि पिछले 1 दशक में आईसीआईसीआई बैंक का NRLM के तहत प्रदर्शन सर्वश्रेष्ट रहा है। बैंक ने वर्ष दर वर्ष लक्ष्य उपलब्ध कर लिए हैं एवं ticket size भी सभी बैंकों में सबसे अधिक है। बैंक की एक exclusive team द्वारा एसएचजी महिलाओं को door-step सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- हर्ष का विषय है कि NRLM के तहत निजी बैंकों की न्यूनतम ऋण वितरण राशि, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप NRLM के तहत न्यूनतम ऋण राशि या अधिक संवितरण करने का अनुरोध है, विशेषकर उन जिलों में जहां NRLM के अंतर्गत प्रगति असंतोषजनक है। सहकारी बैंकों सहित कुछ बैंकों द्वारा NRLM के अंतर्गत संतोषजनक ऋण वितरण नहीं किया गया है, जिसके संबंध में विभाग द्वारा अलग से इन बैंकों के साथ बैठक की जाएगी।

<u>Performance under Govt. Sponsored Programmes during FY 2024-25</u>

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत राज्य में प्रगति से सदन को निम्नानुसार अवगत कराया-

Sr.	Name of Scheme	Targets (No.)	No. of Appl. Spon.	No. of Appl. Sanc.	No. of Appl. Disb.	No. of Appl. Pending	% Ach
1	Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) (as on 03.02.2025)	58.02 Cr	345.75 Cr	215.48 Cr	63.05 Cr	94.25 Cr	378.72
2	Agriculture Infrastructure Fund (AIF) (as on 21.01.2025)	3540 Cr	889.01 Cr	473.18 Cr	320.65 Cr	208.84 Cr	13.36
3	PM Formalization of Micro food processing Enterprises (PMFME) (as on 21.01.2025)	1466	3255	877	747	328	59.82
4	National Rural Livelihood Mission (NRLM) – (as on 11.02.2025)	2550 Cr	-	-	1853 Cr	14112	72.67
5	Mukhya Mantri Laghu Udyog Protsahan Yojana (MLUPY) (as on 31.12.2024)	5200	10779	4070	3616	4500	78.27
6	Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Aadivasi Udyam Protsahan Yojana –2022 (BRUPY) (as on 31.12.2024)	2000	2231	530	503	1707	26.50
7	Mukhya Mantri Yuwa Udyam Protsahan Yojana (MYUPY) (as on 31.12.2024)	200	858	288	277	374	144
9	Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojna (MNSUPY) (as on 31.12.2024)	1200	4356	825	349	4864	68.75

<u>Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)</u>

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि दिनांक 03.02.2025 तक की प्रगति निम्नानुसार है-

PMEGP Bank-Wise Progress as on 03.02.2025												
Sr No.	Bank Name	Target	Forwarded to Bank		Sanctioned by Bank		Margin Money Claimed		MM Disbursed		Pending for MM Disbursement	
			No of Prj.	MM Involve (In Lakh)	No of Prj.	MM Involve (In Lakh)	No of Prj.	MM Involve (In Lakh)	No of Prj.	MM Involve (In Lakh)	No of Prj.	MM Involve (In Lakh)
Total		5802	5503	34571.23	2680	21548.21	2716	21973.54	752	6304.83	2454	20549.82

PMEGP के अंतर्गत अधिकतम एवं न्यूनतम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Banks					Bottom Performing Banks				
Sr No.	Bank Name	Target	MM Claimed	%age Ach	Sr No.	Bank Name	Target	MM Claimed	%age Ach
1	UCO BANK	2.60	19.31	742.51	1	INDUSIND BANK	0.30	0.00	0.00
2	BANK OF BARODA	7.10	50.88	716.55	2	AXIS BANK LTD	1.00	0.35	35.00
3	IDBI BANK	1.20	7.10	591.69	3	HDFC BANK	2.50	1.91	76.42
4	CANARA BANK	3.00	16.43	547.62					
5	PUNJAB NATIONAL BANK	5.90	30.12	510.46					

*Source: PMEGP Portal

योजनांतर्गत असराहनीय प्रदर्शन वाले बैंकों से प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक एवं एचडीएफ़सी बैंक)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि दिनांक 30.09.2024 को रु 152.19 करोड़ के मार्जिन मनी क्लेम लंबित थे जो दिसम्बर 2024 में बढ़ कर राशि रु 199.17 करोड़ हो गयी है। संबन्धित विभाग से इन क्लेम का निस्तारण करवाने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, **राजस्थान सरकार)**

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार से लंबित मार्जिन मनी क्लेम की अद्यतित स्थिति से सभी को अवगत करवाने का अनुरोध किया।

प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने कहा कि-

- मार्जिन मनी के लंबित क्लेम स्वीकृत करवा देंगे।
- सभी बैंकों से अनुरोध है कि **PMEGP** के तहत प्राप्त होने वाले ऋण आवेदनों को वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित न रखें एवं इनका निस्तारण पूरे वर्ष नियमित रूप से करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- आवेदक**,** उद्योग विभाग द्वारा project स्वीकृत कर देने के बाद**,** बैंक से ऋण राशि प्राप्त होने के आश्वासन में व्यावसायिक गतिविधि प्रारम्भ कर देते हैं। ऐसे में बैंक द्वारा ऋण राशि प्रदान करने में विलंब करने पर उसकी व्यावसायिक गतिविधि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसके कारण व्यवसाय डूबने के भी आसार बन जाते हैं।
- योजनान्तर्गत मुख्यतः बैंकों का प्रदर्शन संतोषजनक है एवं वित्तीय वर्ष के अंत तक योजना के लक्ष्य भी उपलब्ध हो जाते है।

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि PMEGP योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्य मात्र रु 58 करोड़ थे जबकि बैंकों के पास मार्जिन मनी वितरण के लिए ही रु 205.50 करोड़ के 2454 आवेदन लंबित हैं। अतः आगामी वित्तीय वर्ष में बैंकों के पास लंबित मार्जिन मनी वितरण के अनुरूप ही लक्ष्य प्रदान करें।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, **राजस्थान सरकार)**

<u>PMFME Scheme</u>

दिनांक 21.01.2025 तक PMFME के तहत एजेंसी-वार प्रगति निम्न प्रकार है:

Progress under PM FME for FY 2024-25 as on 21.01.2025								
S. N.	Bank	Individual Unit Target	Application Forwarded	Ach.	Pendency	Disbursed	Ach. in Percentage	Rejection
A	Public Sector Bank	889	2463	617	157	521	69.44%	1689
B	Private Sector Bank	284	434	152	134	128	53.62%	148
C	Regional Rural Bank	207	261	65	28	55	31.34%	168
D	Co-Operative Bank	49	33	28	2	28	57.38%	3
E	Small Finance Bank	38	64	15	7	15	39.57%	42
	Grand Total	1466	3255	877	328	747	59.82%	2050

सभी बैंकों से PMFME के तहत लंबित आवेदनों का अतिशीघ्र निस्तारण करते हुए, शत-प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि **PMFME** योजनान्तर्गत अस्वीकृत ऋण आवेदनों की अधिक संख्या, एक से अधिक बैंकों (जिन्हे आवेदक द्वारा पहली, दूसरी एवं तीसरी preference दी गयी है) के पास पोर्टल पर एक ही ऋण आवेदन दर्शित होने के कारण है। विभाग से इस समस्या का समाधान करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: उद्योग विभाग, **राजस्थान सरकार)**

शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि प्रस्तुतीकरण में PMFME के तहत दर्शाई गयी ऋण स्वीकृत की प्रगति 59.82% के विरुद्ध विभाग के डाटा के अनुसार प्रगति 12% है।

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि विभाग **PMFME** के तहत प्रदान किए गए 5 वर्षों के लक्ष्य, अतः 7330 के सापेक्ष प्रगति देख रहे हैं, जबकि प्रस्तुतीकरण में प्रगति 1 वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष है। उन्होने बताया कि एसएलबीसी द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से सभी बैंकों से योजनान्तर्गत प्रति शाखा 2 ऋण स्वीकृत करवाने का अनुरोध किया गया है।

शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि-

- राज्य में 16% कृषि उत्पाद, पर्याप्त agri-processing facilities नहीं होने के कारण बर्बाद हो जाता है।
- इसीलिए यह योजना agri-processing को छोटे उद्योगों के पक्ष में decentralize करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- 5 वर्षों के लक्ष्य के सापेक्ष राज्य में मात्र 12% प्रगति हुई है जो असंतोषजनक है।
- भारतीय स्टेट बैंक को योजनान्तर्गत 5 वर्षों में 799 आवेदन अग्रेषित किए गए थे जिनमे से 574 आवेदन अस्वीकृत कर दिये गए एवं मात्र 159 आवेदनों में ऋण स्वीकृत हुए हैं। यह निराशाजनक है।
- PMFME योजना को 1 वर्ष के लिए 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अतः योजनान्तर्गत लक्ष्य उपलब्ध करने के लिए 1 वर्ष ही बाकी है।
- बैंकों से अनुरोध है कि उक्त योजनान्तर्गत अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत करें।
- देखा गया है कि कुछ बैंकों को CGTMSE की प्रणाली पर भरोसा नहीं है, जिसके कारण वह ऋण आवेदकों से collateral की मांग करते हैं। यह ऋण आवेदक collateral प्रदान करने में समर्थ नहीं होते। अतः बैंकों से अनुरोध है कि बैंक शाखा प्रबन्धकों को CGTMSE के संबंध में जागरूक करें एवं उनसे अनुरोध करें कि PMFME के ऋण आवेदकों से collateral की मांग न करते हुए ऋण स्वीकृत करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- विभाग द्वारा बैंकों को योजनान्तर्गत sensitize करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। यह खेद का विषय है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक इत्यादि द्वारा इन कार्यक्रम में सहभागिता नहीं की गयी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- PMFME योजनान्तर्गत प्रगति के संबंध में एसएलबीसी से संबन्धित विभाग के साथ अलग से बैठक करने का अनुरोध है। यदि भारतीय स्टेट बैंक जैसे बड़े बैंक इतनी अधिक संख्या में योजनान्तर्गत ऋण आवेदन अस्वीकार कर रहे हैं तो विभाग के साथ अलग से विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या दस्तावेज़ों में कोई समस्या है या कोई मानदंडों का पालन नहीं हो रहा है। इतनी अधिक अस्वीकृति दर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा बड़े प्रयासों के बाद यह आवेदन स्त्रोत किए जाते हैं। साथ ही इतनी अधिक अस्वीकृति के कारण राज्य में लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा पाएंगे।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

कृषि अवसंरचना निधि के तहत दिनांक 21.01.2025 तक बैंकों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Progress under Agriculture Infrastructure Fund as on 21.01.2025 (₹. in Cr.)

Sr. No.	Bank	Application forwarded to Banks		Application Sanctioned by Banks		Out of Sanctioned, pending for Disb.		Out of Sanctioned, App. Disb. By Bank		Application Pending with Bank		% age Ach (sanction)
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	
A	Public Sector Bank	915	664.87	512	389.86	113	121.05	399	268.81	177	97.89	18.98
B	Private Sector Bank	290	154.39	80	53.62	35	21.44	45	32.18	174	86.17	7.81
C	Regional Rural Bank	41	38.25	23	24.88	4	9.06	19	15.82	16	13.04	4.56
D	Co-Operative Bank	21	5.38	13	3.43	0	0.00	13	3.43	8	1.95	1.89
E	Small Finance Bank	12	24.72	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	9.79	0.00
	Rajasthan Total	**1284**	**889.01**	**633**	**473.18**	**155**	**152.53**	**478**	**320.65**	**381**	**208.84**	**13.36**

सभी बैंकों से कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के तहत स्वीकृत किए हुये ऋण आवेदन पत्रों में ऋण वितरण करवाने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि बजट 2025-26 में godowns स्थापित करने के लिए provision मिला है, अतः विभाग द्वारा AIF के माध्यम से godowns स्थापित करने के विकल्प का अन्वेषन किया जा रहा है।

Pradhan Mantri Mudra Yojna:

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31.01.2025 तक **10,88,597** खातों में **रु 15,150.37 करोड़** का ऋण वितरण रिपोर्ट किया गया।

उक्त योजनान्तर्गत श्रेणीवार प्रगति निम्नानुसार है :

Sr. No.	Category	No. of A/c's	Disbursed Amt. (₹. In Cr)
1	Shishu	4,48,175 (41.17%)	1,649.22
2	Kishore	5,73,344 (52.67%)	8,206.35
3	Tarun	66,955 (6.15%)	5,277.59
4	Tarun Plus	123 (0.01%)	17.26

	Total	10,88,597	15,150.37

योजनान्तर्गत न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले बैंक यथा एचडीएफ़सी (51.82%), भारतीय स्टेट बैंक (48.54%), यस बैंक (43.14%), एक्सिस बैंक (39.45%) एवं बैंक ऑफ बड़ौदा (36.17%) से अनुरोध है कि PMMY के तहत प्रदर्शन में सुधार करें एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुझाए गए लक्ष्यों को उपलब्ध करें।

(कार्यवाही: एचडीएफ़सी, भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा)

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna (PMSGMBY)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि PMSGMBY के तहत दिनांक 10.02.2025 तक बैंकों को प्राप्त **15,662** आवेदनों में से **रु 12,757 लाख** के **8,524** आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमे से **7,637** आवेदनों में **रु 11,260 लाख** का ऋण वितरण किया गया है। बैंकों के पास **2686** आवेदन निस्तारण हेतु लंबित हैं एवं **4452** आवेदनों निरस्त कर दिये गए हैं।

सभी बैंकों से अनुरोध है कि PMSGMBY के तहत लंबित ऋण आवेदनों का अतिशीघ्र निस्तारण करते हुए, अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि
- MNSUPY के तहत दिनांक 31.12.2024 तक 1200 के लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों को प्राप्त **4,356** आवेदनों में से **825** आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमे से **349** आवेदनों में ऋण वितरण किया गया है। योजनान्तर्गत प्रगति 68.75% है जो सितंबर 2024 तिमाही (35%) के सापेक्ष लगभग दोगुनी है। बैंकों के पास 14 दिन, 30 दिन एवं 90 दिनों से अधिक क्रमशः 167, 418 एवं 4279 आवेदन लंबित हैं अतः कुल 4864 आवेदन लंबित हैं।
- योजनान्तर्गत न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले बैंको से प्रदर्शन में सुधार करने का अनुरोध है।

  (कार्यवाही: एचडीएफ़सी, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईसीआईसीआई एवं इंडियन बैंक)
- योजनान्तर्गत सिरोही, अलवर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं बारां जिलों में न्यूनतम प्रदर्शन किया गया है।

प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-
- योजनान्तर्गत 25% की सब्सिडी उपलब्ध है एवं 18 वर्ष व अधिक आयु की महिलाएं पात्र हैं।
- चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने में कम समय रह गया है। अतः MNSUPY योजनान्तर्गत इसी समय में लंबित आवेदनों का निस्तारण करते हुए, आवंटित लक्ष्य उपलब्ध करें।
- पिछले वर्षों के लगभग 5000 ऋण आवेदन निस्तारण हेतु लंबित है। उनका भी निस्तारण करें।
- आवेदन अस्वीकृत करते समय स्पष्ट कारण उल्लेखित करें।
- योजनान्तर्गत प्रगति में बीआरकेजीबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं आरएमजीबी में का प्रमुख योगदान है। अन्य बैंकों का योगदान नगण्य है।
- बैंकों से अनुरोध है कि योजनान्तर्गत अपने योगदान व प्रदर्शन में सुधार करते हुए, पूरे वर्ष नियमित प्रगति करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-
- आश्चर्य का विषय है कि अलवर ज़िला, न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले जिलों में है।
- MNSUPY बहुत लाभ दायक योजना है।

- बैंकों से अनुरोध है कि MNSUPY योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Aadivasi Udyam Protsahan Yojana-2022 (BRUPY)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि

- BRUPY के तहत दिनांक 31.12.2024 तक 2000 के लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों को प्राप्त **2,231** आवेदनों में से **530** आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के 1707 आवेदन लंबित हैं एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के 1298 आवेदन लंबित हैं, अतः कुल 3005 आवेदन लंबित हैं। 598 आवेदनों को बैंकों द्वारा निरस्त कर दिया गया है। योजनान्तर्गत प्रगति 26.50% है।
- योजनान्तर्गत न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले बैंको से प्रदर्शन में सुधार करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: एचडीएफ़सी, एक्सिस बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक एवं यस बैंक)

- योजनान्तर्गत डीग, दूदू, खैरथल-तिजारा, कोटपुटली-बहरोड़ एवं सांचोर जिलों में न्यूनतम प्रदर्शन किया गया है।
- BRUPY योजना ऑनलाइन नहीं होने के कारण योजनान्तर्गत प्रगति की निगरानी करने में समस्या आती है।
- बैंकों को यह समस्या आती है कि ऋण वितरण करने और सब्सिडी प्राप्त करके के पश्चात भी ऋण आवेदन लंबित परिलक्षित होते हैं। विभाग से अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान करें।

(कार्यवाही: उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-

- यह बेहद लाभदायक योजना है जिसकी बहुत अधिक demand है।
- बैंकों से अनुरोध है कि लंबित आवेदनों का प्राथमिकता पर अतिशीघ्र निस्तारण करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- योजनान्तर्गत ऑनलाइन पोर्टल इसलिए नहीं विकसित हुआ है क्योंकि यह पुरानी योजना है एवं योजना को आगे बढ़ाया जाना विचाराधीन है।
- केंद्र सरकार द्वारा बजट 2025-26 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के वर्गिकरण हेतु turnover सीमा को दोगुना एवं investment सीमा को 2.5 गुना कर दिया है। इसके कारण कई उद्योग जो अभी तक लघु वर्ग में बैंकों से funding प्राप्त कर रहे थे, वह अब सूक्ष्म वर्ग में आ गए हैं एवं पूर्व में MSME वर्ग से बाहर के उद्योग, माध्यम वर्ग में आ गए हैं। ऐसा होने पर बैंकों द्वारा MSME वित्तपोषन करते समय का risk बढ़ गया है।
- एमएसएमई विभाग, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं सिडबी से अनुरोध है कि सूक्ष्म उद्योगो के वित्तपोषन के लिए अलग दिशा-निर्देश जारी करें एवं इनके लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित किए जाएँ। अन्यथा नए वर्गीकृत उद्यमों को वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

(कार्यवाही: एमएसएमई विभाग, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं सिडबी)

- वार्षिक साख योजनान्तर्गत MSME के तीनों वर्गों कि ऋण सीमा को भी बढ़ाना होगा।
- बैंकों से अनुरोध है कि Rising Rajasthan Global Investment Summit के अंतर्गत रु 100 करोड़ से कम राशि के 9861 MoUs, जिनमे रु 1.13 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है एवं जो संबन्धित विभाग के शासन सचिव द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, उनसे संबन्धित परियोजनाओं हेतु ऋण प्रदान करें। इस हेतु 3-4 बैंक आगे आते हुए, संबन्धित बैंक अधिकारी का फोन नंबर प्रदान करें जिसे विभाग के MOU-investor interface पर अद्यतित किया जा सके। निवेशक MoU की प्रगति की निगरानी इस पोर्टल पर कर सकते हैं, अतः यदि वह इच्छुक हो तो पित्तपोषन के लिए संबन्धित बैंक से संपर्क कर सकते हैं।
- वार्षिक साख योजनान्तर्गत ऋण प्रदान करते समय बैंक profit का ही नहीं बलकि जरूरतमंदों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- यदि अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, विभागों के ज़िला स्तरीय अधिकारियों के साथ उचित समन्वय करेंगे तो सरकारी योजनाओं के तहत प्रायोजित ऋण आवेदन इतनी अधिक संख्या में अस्वीकृत नहीं होंगे। अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों के स्तर पर पर्याप्त प्रयत्नों की कमी है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- विभाग के field-officers द्वारा आवेदन प्रायोजित करने से पूर्व उनकी गुणवत्ता का विश्लेषण किया जाना चाहिए जिससे अस्वीकृत आवेदनों की संख्या कम हो।

(कार्यवाही: उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार)

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी- हालांकि हर बैंक की अपनी credit appetite/ capacity होती है जिसके तहत वह decisions लेता है, यद्यपि सरकारी योजनाओं में निर्णयन और डाटा संकलन की प्रक्रिया सुधारी जानी चाहिए।

<u>RSETI land allotment and building related issues</u>

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- दिनांक 05.02.2025 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के पश्चात उक्त मुद्दों में क्या अद्यतन हुआ है? उक्त बैठक के बाद जालोर ज़िला कलक्टर ने लिखित में दिया था कि वर्ष 2016 में भूमि संबन्धित बैंक को आवंटित हो गयी थी। फिर भी बैंक द्वारा आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया।

प्रतिनिधि, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि जालोर में बैंक को जो भूमि आवंटित हुई थी उसमे पहले से ही land owner ने case कर रखा था जिसकी वजह से बैंक भूमि का स्वामित्व नहीं ले पा रहा था।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-

- इस मुद्दे का समाधान हो गया था। कलक्टर जालोर ने भारतीय स्टेट बैंक से बैठक करके उन्हे बताया था कि आवंटित भूमि पर अब कोई केस या अतिक्रमण नहीं है अतः बैंक जल्द-से-जल्द इसपर निर्माण कार्य प्रारम्भ करे। पर नवंबर के बाद बैंक द्वारा इसमे कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।
- धौलपुर में land clearance के संबंध में स्वयं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक ने भ्रम पैदा किया, किसी से कोई clearance की आवश्यकता नहीं थी। कलक्टर ने लिखित में दिया है कि धौलपुर में आर-सेटी हेतु आवंटित भूमि से संबन्धित कोई clearance लंबित नहीं है, अतः बैंक जब चाहे उसमे निर्माण कार्य शुरू कर सकता है।
- एसएलबीसी को इन संबंध में अद्यतन स्थिति प्रेषित कर दी जाएगी।

प्रतिनिधि, **भारतीय स्टेट बैंक** ने इस संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधि, **पंजाब नेशनल बैंक** ने सूचित किया कि धौलपुर आर-सेटी भवन हेतु भूमि आवंटित कर दी गयी है और अंतिम lay-out, CPWD के पास अनुमोदन के लिए लंबित है, अतः धौलपुर में आर-सेटी भवन निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा।

प्रमुख शासन सचिव, **राजस्व विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि उनके नियमों के अनुसार डूंगरपुर और सिरोही में आर-सेटी हेतु निशुल्क भूमि नहीं दे सकते।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- MoRD, भारत सरकार के परिपत्र के अनुसार आर-सेटी हेतु भूमि निशुल्क आवंटित करनी होती है। यदि राजस्व विभाग को कोई नियम इसके विरुद्ध है तो

इसके संबंध में स्पष्टता से लिखित में एसएलबीसी को अवगत कराएं, जिससे एसएलबीसी द्वारा यह मुद्दा निस्तारण हेतु और उच्च स्तर पर प्रस्तुत किया जा सके।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

Amendment in PDR Act, 1952

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- विभिन्न राज्यों यथा उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश इत्यादि में उक्त अधिनियम में विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं में बैंकों की बकाया राशि की वसूली को शामिल किया गया है व एसएलबीसी द्वारा उक्त राज्यों के पीडीआर अधिनियम की प्रतिलिपि राजस्व विभाग को प्रेषित की गई है।
- आयोजना विभाग द्वारा दिनांक 05.11.2024 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने ज़िला कलक्टरों से राज्य सरकार की special waiver scheme के अंतर्गत आने वाले ऋणों के अतिरिक्त RACO-RODA में लंबित सभी प्रकरणों का बिना विलंब निस्तारण करवाने का निर्देश दिया।
- राज्य सरकार के संबन्धित विभाग से, PDR Act, 1952 में संशोधन कर विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं में बैंकों की बकाया राशि की वसूली को शामिल करने हेतु कार्यवाही करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रमुख शासन सचिव, **राजस्व विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि PDR Act में संशोधन हेतु राज्य के संबन्धित मंत्री को फ़ाइल प्रेषित की हुई है जिनके अनुमोदन के पश्चात ही संशोधन संभव है। PDR Act में गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 1 संशोधन प्रस्तावित किया हुआ है जिसके अनुसार 5 एकड़ तक की कृषि भूमि को mortgage एवं कुर्की की कार्यवाही नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में गृह विभाग, राजस्थान सरकार का मानना है कि बैंकों द्वारा PDR ऐक्ट में चाहा गया संशोधन अभी नहीं किया जाना चाहिए। अतः यह प्रस्ताव अभी रोक पर है।

RACO RODA & SARFAESI Act

प्रकरण बकाया दिनांक 31.12.2024 तक

- **RACO RODA - 1,67,148 Cases Amt. ₹. 3,777.55 Cr (% growth from Sep 24- 0.47%)**
- **SARFAESI Act - 1,799 Cases Amt. ₹. 264.78 Cr. (% growth from Sep 24- 5.04 %)**

प्रमुख शासन सचिव, **राजस्व विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि पिछले वर्ष की तुलना में राको-रोडा एवं सरफेसी ऐक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों की संख्या में हुई वृद्धि बताएं।

अध्यक्ष, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि आगामी एसएलबीसी की मुख्य बैठक में मार्च 2024 एवं मार्च 2025 में राको-रोडा एवं सरफेसी ऐक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों की ज़िले-वार सूचना प्रदर्शित करें।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

नामांतरण के बाद संबंधित राजस्व भूमि रिकॉर्ड में जानकारी अपडेट करने से संबन्धित:

प्रमुख शासन सचिव, **राजस्व विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि जो कृषि भूमि एक बार convert हो जाती है, उसमे आगे mutation नहीं करते हैं क्योंकि उसे non-agricultural land के रूप में दर्ज कर देते हैं। Mutation कृषि भूमि में ही होता है। विभाग इस मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है।

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2024 के अनुसार ऋण की स्वीकृति पर स्टांप ड्यूटी में वृद्धि:

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- उक्त मुद्दे के संबंध में वित्त विभाग से संज्ञान लेने एवं एसएलबीसी को उत्तर प्रदान करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: वित्त विभाग, राजस्थान सरकार)

Pending SRLM claims

प्रतिनिधि, राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि BPL candidates से संबन्धित पुराने SRLM क्लेम में डाटा mismatch के कारण भारत सरकार ने queries भेजी थी। अन्य क्लेम के संबंध में MoRD से चर्चा हुई है, जिनके जल्द ही स्वीकृत करके भिजवा दिया जाएगा।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि उक्त queries का समाधान करके पुनः भिजवा दिया गया था।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- एसआरएलएम के पुराने क्लेम वर्ष 2017 से लंबित हैं। इसी प्रकार केवीआईपी के क्लेम भी 3-4 वर्षों से लंबित हैं जिसके कारण बैंकों को समस्या हो रही है। एसएलबीसी इस मुद्दो पर अलग से विभाग के साथ चर्चा करेगी।

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया कि पुराने SRLM क्लेम के संबंध में भारत सरकार द्वारा भेजी गयी queries का बैंक द्वारा निस्तारण कर दिया गया था, फिर भी यह क्लेम लंबित हैं। भारतीय स्टेट बैंक के SRLM क्लेम, कुल SRLM क्लेम के लगभग 50% हैं।

Waiver in Glow Sign Board charges

प्रमुख शासन सचिव, **राजस्व विभाग**, **राजस्थान सरकार** की टिप्पणी- मुख्य सचिव ने बैठक दिनांक 05.11.2024 में इस एजेंडा बिन्दु को हटाने के लिए कहा था।

प्रमुख शासन सचिव, **उद्योग विभाग**, **राजस्थान सरकार** की टिप्पणी- एसएलबीसी की बैठक में उठाने के लिए यह एक बहुत छोटा मुद्दा है। इसपर संबन्धित विभाग के साथ अलग से चर्चा की जा सकती है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने संबन्धित विभाग से अनुरोध किया कि ग्लो साइन बोर्ड पर लगने वाले शुल्क को माफ करने के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय को सूचना लिखित में एसएलबीसी को भेजें।

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

Integration Status of Banks with Bank Disbursement Engine

संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा सभी बैंकों को Integrated Financial Management System पर onboard करने का निर्णय लिया है जिसकी अंतिम dead-line 15 जनवरी 2025 थी जिससे पूर्व इसके तहत IP Address को whitelist एवं अन्य औपचारिकताएँ की जानी थी। जिन बैंकों द्वारा IP Address प्रेषित किया जाना लंबित है, उनसे अनुरोध है कि अतिशीघ्र इसे विभाग को प्रदान करें। इस

संबंध में आगामी सप्ताह में निरीक्षण बैठक प्रस्तावित है। यदि बैंक, सरकारी खाते चाहते हैं तो Integrated Financial management System पर ओनबोर्ड करना ही होगा।

शासन सचिव, कृषि एवं उदानिकी विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-

- PMFBY के तहत जब तक कृषक voluntarily opt-out नहीं करता, तब तक उसी फसल के लिए उसका बीमा चलता रहता है। यदि वह अन्य फसल की खेती करता है तो यह बीमा अवैध हो जाता है। KCC का नवीनीकरण करते समय यह जांचा जाना चाहिए कि जो फसल बोयी गयी है, उसी को KCC के तहत कवर किया जा रहा है या नहीं।
- ऐसे ही ज़िला चुरू, हनुमानगढ़ जैसे जिलों में insured area, actually sown area से अधिक होने के प्रकरण सामने आए हैं जिसके कारण फसल बीमा अवैध हो जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 लाख UTR संलग्न नहीं होने के कारण PMFBY के तहत पॉलिसी जारी नहीं हो पायी थी। इनमे से वर्ष 2024 में UTR नहीं होने के कारण 80,000 पॉलिसी जारी नहीं हो पायी थी।
- आधार दस्तावेज़ इत्यादि कमियों के कारण वर्ष 2017 से 2022-23 के बीच रु 58 करोड़ की राशि किसानों को क्लेम के रूप में नहीं मिल पायी है। इस पर एसएलबीसी के साथ अलग से चर्चा की जाएगी। उक्त मुद्दों के समाधान के लिए बैंक-वार कैम्प लगाने होंगे।

उप-महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैठक में उपस्थित मंचासीन सदस्यों सहित केंद्र एवं राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंक तथा अन्य सभी विभागों के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक का समापन किया।

***